दैनिक

नव प्रदेश

आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्

प्रदेश के साथ पूरा देश...

www.navpradesh.com | रायपुर, शुक्रवार 16 अक्टूबर 2020, आश्विन अमावस्या, विक्रम संवत-2077 वर्ष-09 अंक-246 पृष्ठ-08 मूल्य-3 रुपए | छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, झारखंड, से एक साथ प्रकाशित

मरवाही विस में भाजपा के पूर्व प्रत्याशी रही अर्चना पोर्ते, ध्यान सिंह पोर्ते और पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष शंकर कंवर कांग्रेस में हुए शामिल

नव प्रदेश संवाददाता

बिलासपुर। मरवाही उप चुनाव के लिए गुरुवार को जब भाजपा के तमाम बड़े नेता डॉ रमन सिंह, धरम लाल कौशिक, प्रदेश अध्यक्ष विष्णु देव साय बृजमोहन अग्रवाल अमर अग्रवाल आदि भाजपा प्रत्याशी डॉ गंभीर सिंह को नामांकन दाखिल कराने में व्यस्त थे, इसी दौरान भाजपा के तीन नेताओं ने जिले के प्रभारी मंत्री जय सिंह अग्रवाल के समक्ष कांग्रेस में शामिल हो रहे थे। भाजपा के पूर्व प्रत्याशी अर्चना पोर्ते के साथ ही ध्यान सिंह पोर्ते और जिला पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष शंकर कंवर ने भाजपा छोड़ कांग्रेस की सदस्यता ले ली है। पिछले विधान सभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के टिकट के

दावेदार रहे श्रीमती अर्चना पोर्ते ध्यान सिंह पोर्ते एवं शंकर कवर ने जयसिंह अग्रवाल प्रभारी मंत्री जी पीएम जिला अटल श्रीवास्तव प्रदेश उपाध्यक्ष जिला प्रभारी जी पीएम जिला आर पी सिंह प्रवक्ता प्रदेश कांग्रे स के समक्ष कांग्रेस प्रवेश किया।

गौरतलब है अर्चना पोर्ते 2018 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रही एवं स्व. भंवर सिंह पोर्ते की पुत्री हैं वहीं ध्यान सिंह पोर्ते 2008 में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे एवं आदिवासी नेता है, शंकर कंवर जिला पंचायत बिलासपुर के उपाध्यक्ष के पद पर रहे और क्षेत्र में एक सक्रिय नेता के रूप में जाने जाते हैं। इनके प्रवेश पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए जयसिंह अग्रवाल ने कहा ■ शेष पृष्ठ 5 पर

आज बेबाक

बढ़ती रेप की घटनाओं को रोकने में शासन प्रशासन की नाकामी से आक्रोशित होकर राजकोट गुजरात की लड़कियों ने अपनी सुरक्षा खुद करने का निर्णय लिया है। उन्होंने अपने साथ हथियार रखने के लिए सरकार से लाईसेंस देने की मांग की है। उनका यह कदम न सिर्फ प्रशंसनीय है बल्कि अनुकरणीय भी है। हैवानों से निपटने के लिए नारी शक्ति के हाथों में हथियार होना निहायत जरूरी है। संविधान ने सभी को आत्मरक्षा का अधिकार दिया है। वैसे भी कुछ फैसले ऑन द स्पॉट होंगे तभी इन राक्षसों की रूह कांपेगी और सही मायनों में महिला सशक्तिकरण का नारा सार्थक सिद्ध होगा।

शिक्षा ही वह माध्यम है जिससे मिलती है जीवन में नई ऊंचाईयां : सीएम भूपेश

नव प्रदेश संवाददाता

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुरुवार को दंतेवाड़ा जिले के 'छू लो आसमान' कार्यक्रम के तहत अखिल भारतीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा में (जेईई) मेन्स में सफल 17 छात्र-छात्राओं से बातचीत की और उन्हें सफलता के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। इन छात्र-छात्राओं ने एनआईटी में प्रवेश के लिए मेरिट लिस्ट में स्थान प्राप्त किया है। वर्ष 2011 में जिला प्रशासन दंतेवाड़ा और एनएमडीसी के सहयोग से प्रारंभ किए गए इस कार्यक्रम की मदद से अब तक 845 छात्र-छात्राओं का चयन विभिन्न उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए हो चुका है।

मुख्यमंत्री ने जेईई मेन्स में छू लो आसमान के सफल 17 विद्यार्थियों को दी उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं

- ■ बीजापुर और सुकमा के आदिवासी बच्चों के लिए अगले सत्र से 40 सीटें बढ़ाने और चयनित विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की घोषणा
- ■ आने वाले वर्षों में विकासखण्ड स्तर पर खोले जाएंगे इंग्लिश मीडियम स्कूल

मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विद्यार्थियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि शिक्षा ही वह माध्यम है जिससे जीवन के हर क्षेत्र में नई ऊंचाईयां हासिल की जा रही है। आप लोग दूरस्थ अंचलों से हैं और विपरित परिस्थितियों में अपने दृढ़ संकल्प से 'छू लो आसमान' कार्यक्रम के माध्यम से यह सफलता प्राप्त की है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर 'छू लो आसमान' कार्यक्रम में बीजापुर और सुकमा के आदिवासी बच्चों के लिए अगले सत्र से 40 सीटें बढ़ाने, चयनित विद्यार्थियों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने और एक छात्र हेमंत कुमार आर्य की ऑखों का पूरा इलाज कराने की घोषणा की। श्री बघेल ने कहा कि प्रदेश में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना के अंतर्गत जिलों में 53 स्कूल प्रारंभ किए गए हैं। आने वाले वर्षो में विकासखण्ड स्तर पर इंग्लिस मीडियम स्कूल प्रारंभ किए जाएंगे। इस अवसर पर कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे, वन मंत्री मोहम्मद अकबर, उद्योग मंत्री कवासी लखमा, संसदीय सचिव शिशुपाल सोरी, विधायक अनूप नाग, छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन, एनएमडीसी के सलाहकार दिनेश श्रीवास्तव उपस्थित थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कलेक्टर दंतेवाड़ा दीपक सोनी और एनएमडीसी के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक सुमित देव शामिल हुए।

आयरन-विटामिन युक्त फोर्टिफाईड राईस वितरण 1 नवंबर से

- ● भोजन में पोष्टिक तत्वों की पूर्ति के साथ कुपोषण मुक्ति में होगी मददगार
- ● मुख्यमंत्री बघेल ने बजट भाषण में की थी फोर्टिफाईड राईस वितरण योजना शुरू करने की घोषणा
- ● राज्य सरकार ने 5.80 करोड़ रूपए का किया बजट प्रावधान

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार भोजन में आवश्यक पोष्टिक तत्वों की पूर्ति और कुपोषण के नियंत्रण के लिए आगामी एक नवंबर राज्य स्थापना दिवस से फोर्टिफाईड राईस वितरण की अभिनव योजना शुरू करने जा रही है। आयरन और विटामिन से युक्त फोर्टिफाईड राईस वितरण की यह योजना राज्य के कोण्डागांव जिले में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वर्ष 2020-21 के अपने बजट भाषण में इस योजना को प्रारंभ करने की घोषणा की थी। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा 5 करोड़ 80 लाख रूपए का बजट प्रावधान भी किया गया है।

कोण्डागांव जिले में शुरू होगी योजना

कोण्डागांव जिले में पीडीएस एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत समस्त चावल को फोर्टिफाईड कर वितरित किया जाएगा। फोर्टिफाईड राईस तैयार करने लिए दो राईस मिल को राईस ब्लेंडिंग कार्य सौंपा गया है। कोण्डागांव जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत एक लाख 11 हजार 217 राशनकार्ड तथा राज्य योजना के तहत 23 हजार 204 राशनकार्ड इस तरह कुल एक लाख 34 हजार 421 राशनकार्ड प्रचलित है। इस जिले में चांवल का कुल वार्षिक आबंटन 60 हजार 188 टन है जिसमें पीडीएस चांवल का 55 हजार 068 टन है और कल्याणकारी योजना, मध्यान्ह भोजन, पूरक पोषण आहार आदि योजनाओं का वार्षिक आबंटन 5 हजार 120 टन है।

शेयर बाजार में कोहराम 3.3 लाख करोड़ डूबे

■ इस साल 14वीं बार हुआ धड़ाम, मार्च में हुई थी सबसे बड़ी गिरावट

नई दिल्ली ए.। शेयर बाजार में गुरुवार को 10 दिन की तेजी पर न केवल ब्रेक लग गया बल्कि भारी गिरावट देखने को मिली। यूरोप में लॉकडाउन की आहट से शेयर बाजार ऐसा सहमा कि सेंसेक्स ने इस साल की 14वां बड़ा नुकसान देखा। गुरुवार को सेंसेक्स 1066 अंक गिरकर 39,728 पर तो वहीं, निफ्टी 291 अंक गिरकर 11,680 पर बंद हुआ। इस गिरावट में निवेशकों के करीब 3 लाख करोड़ रुपये डूब गए। इससे पहले 24 सितंबर को वैश्विक बाजारों में भारी बिकवाली तथा विदेशी कोषों की निकासी से शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। बीएसई का सेंसेक्स करीब 2.96 फीसदी यानी 1,114.85 अंकों की गिरावट के बाद 36,553.60 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 326.30 अंक गिरकर 10,805 के स्तर पर बंद हुआ। उस दिन भी गुरुवार था और संयोग से आज भी गुरुवार है।

सबसे गहरी मंदी से जूझ रही दुनिया : विश्व बैंक

वाशिंगटन ए.। विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास ने कहा है कि कोरोना वायरस महामारी के चलते दुनिया 1930 के दशक की महामंदी के बाद से सबसे गहरी मंदी से जूझ रही है और उन्होंने कोविड-19 महामारी को कई विकासशील और सबसे गरीब देशों के लिए भयावह घटना बताया। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि आर्थिक संकुचन की सीमा को देखते हुए कई देशों में ऋण संकट का खतरा बढ़ गया है। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की वार्षिक बैठक के मौके पर कहा कि यहां बैठकों में इस मुद्दे पर बहुत अधिक ध्यान दिया गया है। उन्होंने कहा मंदी बहुत गहरी है, महामंदी के बाद से सबसे बड़ी मंदी में एक है और कई विकासशील देशों तथा सबसे गरीब देशों के लोगों के लिए ये वास्तव में अवसाद की एक भयावह घटना है।

खास- खबर

स्लीपर कोच समाप्त नहीं किए जाएंगे : रेलवे

नई दिल्ली (वार्ता)। रेलवे ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि किसी भी मार्ग पर स्लीपर कोच को समाप्त करने की उसकी कोई योजना नहीं है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव ने 130 किलोमीटर प्रति घंटे या उससे अधिक की गति यात्री ट्रेन वाले मार्गो पर स्लीपर कोच समाप्त किये जाने की अटकलों को विराम देते हुये गुरुवार को एक वर्चुअल संवाददाता सम्मेलन में कहा कि स्लीपर श्रेणी के कोच बने रहेंगे।

ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता अक्कितम अच्युतन का निधन

पलक्कड़ (वार्ता)। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रख्यात मलयालम कवि साहित्यकार अक्कितम अच्युतन नंबूतिरी का

गुरुवार को त्रिसुर के एक निजी अस्पताल में उम्रजनित बीमारी से निधन हो गया। वह 94 वर्ष के थे। उनके परिवार में पुत्र और एक पुत्री है। उनकी पत्नी का पिछले वर्ष ही देहांत हो गया था।

मशहूर प्रसारक रविन्द्रन चेन्निलोडे का निधन

तिरुवनंतपुरम (वार्ता)। मशहूर प्रसारक रविन्द्रन चेन्निलोडे का गुरुवार को एक निजी अस्पताल में यकृत संबंधी बीमारी के कारण निधन हो गया। वह 68 वर्ष के थे। उनके परिवार में पत्नी और एक बेटी है। श्री चेन्निलोडे को विभिन्न रेडियो वृत्तचित्रों के लिए छह राष्ट्रीय पुरस्कार सहित काफी अधिक ख्याति मिली थी और वह 1979 में ऑल इंडिया रेडियों में बतौर स्टाफ कलाकार के तौर पर नियुक्त हुए।

शेयर बाजार

सेंसेक्स- 39728.41
निफ्टी- 11680.35
गोल्ड- 50392 (10 ग्रा.)
सिल्वर- 60057 (1 कि ग्रा.)

भारत की चीन को दो टूक

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग

नई दिल्ली ए.। लद्दाख पर चीन की ओर से की गई टिप्पणी का भारत ने करारा जवाब दिया है। गुरुवार को विदेश मंत्रालय ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग थे, हैं और रहेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि देश भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी नहीं करेंगे, जैसा कि वे दूसरों को इस तरह की उम्मीद करते हैं। चीन के पास भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है।

बता दें कि लद्दाख सहित सीमा क्षेत्रों में नए पुलों के निर्माण से चीन की बेचैनी और बढ़ गई है। अपनी सीमा में इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित कर चुके चीन को भारत की ओर से भी ऐसा करना हजम नहीं हो रहा है। चीनी विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि वे सैन्य निरीक्षण और नियंत्रण के उद्देश्य से इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास का विरोध करते हैं। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिजियान ने भारत द्वारा सीमा पर बनाए गए पुलों को लेकर सवाल के जवाब में कहा किसी भी पक्ष को इलाके में ऐसा कोई कदम उठाना चाहिए जिससे स्थिति जटिल हो।

हाथरस मामला हाईकोर्ट भेजने के संकेत के साथ फैसला सुरक्षित

नई दिल्ली (वार्ता)। उच्चतम न्यायालय ने हाथरस के कथित सामूहिक दुष्कर्म एवं हत्या मामले को इलाहाबाद उच्च न्यायालय स्थानांतरित करने के संकेत के साथ गुरुवार को फैसला सुरक्षित रख लिया। मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी. रमासुब्रमण्यम की खंडपीठ ने विभिन्न पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सॉलिसटर जनरल तुषार मेहता, राज्य पुलिस महानिदेशक की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे, आरोपियों में से एक की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा, पीड़िता के परिजनों की ओर से सीमा कुशवाहा और एक हस्तक्षेपकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता वकील इंदिरा जयसिंह ने खंडपीठ के समक्ष दलीलें पेश की।

370 हटाए जाने के खिलाफ साथ आए मुफ्ती, फारूक

■ लोगों के अधिकार को वापस लौटाए जाने की मांग

जम्मू ए.। पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने गुपकार बैठक के बाद मांग की है कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को पुराने सभी अधिकार वापस दिए जाएं। इसके साथ ही पीडीपी-नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस समेत अन्य दलों ने इस गठबंधन को पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन का नाम दिया है।

बैठक के बाद फारूक अब्दुल्ला ने कहा हमने इस गठबंधन को पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन का नाम दिया है। हमारी मांग हैं कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को वो सारे अधिकार दिए जाएं जो हमसे छीने गए

हैं। भारत सरकार राज्य के लोगों के उन अधिकारों को लौटाए जो उन्हें 5 अगस्त 2019 से पहले मिलते थे।

उन्होंने कहा कि हम कुछ दिन बाद फिर मुलाकात करेंगे, जिसमें आगे के जो कदम हमें उठाने हैं, वो आपके सामने लाएंगे। बैठक में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती भी उपस्थित थीं।

सैंडलवुड ड्रग्स केस

विवेक ओबेरॉय के घर बेंगलुरु पुलिस की रेड

नई दिल्ली ए.। बेंगलुरु सेंट्रल क्राइम ब्रांच ने बॉलीवुड अभिनेता विवेक ओबेरॉय के घर छापेमारी की है. सीबीआई की बेंगलुरु सिटी क्राइम ब्रांच ने ड्रग्स मामले में एक शख्स की तलाश में विवेक ओबेरॉय के मुंबई स्थित घर पहुंची। ड्रग्स मामले में आदित्य अल्वा को तलाशने के लिए बेंगलुरु सिटी क्राइम ब्रांच मुंबई स्थित बॉलीवुड एक्टर के घर छापा मारने पहुंची, वह विवेक ओबेरॉय की वाइफ के भाई यानी साले बताए जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि आदित्य अलवा नाम का शख्स विवेक ओबेरॉय का रिश्तेदार है। आदित्य के खिलाफ केस दर्ज होने के बाद से वह फरार हैं. सीसीबी ने कोर्ट वॉरंट लेकर विवेक के घर की तलाशी ली। सीसीबी की तरफ से स्टेटमेंट के मुताबिक, कॉटनपेट केस में आदित्य अलवा फरार हैं। विवेक ओबेरॉय उनके रिश्तेदार हैं, हमें सूचना मिली थी कि अल्वा वहां हैं इसलिए हमने उनके घर पर छापेमारी की है।

मरवाही उपचुनाव > आखिर 10 नवंबर को किसे स्वीकारेंगे, कौन नकारे जाएंगे, वक्त देगा जवाब

वोटर खामोश, सब देख रहे... सुन रहे पर नहीं दे रहे स्पष्ट संकेत

नव प्रदेश संवादाता

- ■ दावेदारों का दर्द, छजकां की मजबूरी, भाजपा की कमियां और सत्ता की ताकत मरवाही को मालूम

रायपुर। मरवाही की हर गली, वॉर्ड और बूथ में कांग्रेस के 50 से ज्यादा विधायक, संसदीय सचिव और दिग्गज कार्यकर्ता फिल्डिंग जमा लिए हैं। भाजपा आज गुरुवार को अपने प्रत्याशी का नामांकन दाखिल करवा 30 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। छजकां अब तक प्रचार, नामांकन दाखिला और कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी तय नहीं कर पाई है। हालाकि चुनावी तैयारियों में सबसे पिछड़ी छजकां के प्रदेश अध्यक्ष अमित कहते हैं मरवाही में सियासी पार्टियां उपचुनाव में उतरी हैं और उनके लिए मरवाही घर है, परिवार है। खैर, मरवाही का बेटा और परिवार वाला संवाद सियासी नहीं भावनात्मक है, लेकिन सच यह है कि उपचुनाव जीतने के लिए जरुरी उन सभी तैयारियों से छजकां फिलहाल कोसों दूर है। तीनों खास सियासी पार्टियों के दावेदारों के ■ शेष पृष्ठ 5 पर

प्रचार, संख्या, बल बहुत पर अपनों की नाराजगी भी

मरवाही उपचुनाव में कांग्रेस के 50 दिग्गज विधायक, मंत्री और कार्यकर्ताओ की लंबी-चौड़ी फौज जुटी हुई है। सत्ताबल भी साथ में है। किसी चीज की कोई कमी भी नहीं है। फिर सबसे करीबी प्रतिव्दंदि छजकां के कई लोकल दिग्गजों को भी प्रवेश करवाया जा चुका है। लेकिन, कांग्रेस के लिए मरवाही के उपचुनाव में टिकट की प्रतीक्षा में बैठे रहे कई पुराने व लोकल दिग्गजों के प्रचार की स्टायल से मामला गड़बड़ा गया है। कांग्रेस में टिकट को लेकर उतना ही खामोश असंतोष है जितना भाजपा में है। हालाकि सीधी बगावत की हिमाकत कोई नहीं दिखा रहा पर प्रत्याशी टिकट कटने से ■ शेष पृष्ठ 5 पर

भाजपा 30 स्टार प्रचारकों के भरोसे

भाजपा ने मरवाही विधानसभा उपचुनाव के प्रचार हेतु अपने स्टार प्रचारक नियुक्त किया है। मरवाही विधानसभा उपचुनाव में प्रचार हेतु भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री सौदान सिंह, केन्द्रीय राज्यमंत्री रेणुका सिंह, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक, राज्यसभा सांसद सुश्री सरोज पाण्डेय, रामविचार नेताम, नंदकुमार साय, पवन साय, विक्रम उसेंडी, रामप्रताप सिंह, सासंद अरूण साव, मोहन मंडावी, ■ शेष पृष्ठ 5 पर

कोर्ट की चेतावनी के बाद रजनीकांत ने भरा टैक्स

चेन्नई (वार्ता)। मद्रास उच्च न्यायालय की ओर से एक दिन पहले सुपरस्टार रजनीकांत को मिली चेतावनी के बाद उन्होंने अपने मैरिज हाल का साढ़े छह लाख रू. का बकाया संपत्ति टैक्स भरने के बाद कहा कि इस गलती से बचा जा सकता था। मद्रास न्यायालय ने रजनीकांत को संपत्ति कर जल्द भरने की चेतावनी देते हुए कहा था कि वह टैक्स न भर कर न्यायालय का समय बर्बाद कर रहे है। जिसके बाद उन्होंने अप्रैल-सितम्बर के बीच का छह लाख छप्पन हजार रू. का संपत्ति टैक्स भर दिया जिसकी रसीद ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन द्वारा जारी की गई थी जो सोशल मीडिया में वायरल हो रही है।

टीआरपी मामला

रिपब्लिक टीवी को हाईकोर्ट जाने की 'सुप्रीम' सलाह

नई दिल्ली (वार्ता)। उच्चतम नयायालय ने टीआरपी घोटाला मामले में दर्ज प्राथमिकी पर मुंबई पुलिस की ओर से जारी समन आदेश के खिलाफ रिपब्लिक टीवी की याचिका पर सुनवाई से गुरुवार को इनकार कर दिया। न्यायालय ने, हालांकि मुंबई पुलिस आयुक्त द्वारा प्रेस में बयान दिये जाने को लेकर भी गम्भीर चिंता जतायी।

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचुड़, न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा और न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को पहले बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष जाने को कहा। न्यायमूर्ति चंद्रचुड़ ने कहा, हमें अपने उच्च न्यायालयों पर भरोसा रखना चाहिए। उच्च न्यायालयों के हस्तक्षेप के बिना सुनवाई से एक खराब संदेश जाता है। न्यायमूर्ति मल्होत्रा ने कहा कि याचिकाकर्ता संविधान के अनुच्छेद 226 या आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं।

■ न्यूज गैलरी

फर्नीचर दुकान को निगम ने किया सील

भिलाई। निगमायुक्त ऋतुराज रघुवंशी ने आवासीय क्षेत्र में व्यवसायिक उपयोग को लेकर कार्रवाई करने के निर्देश समस्त जोन आयुक्तों को दिए हैं! निगम अंतर्गत आवासीय परिसर क्षेत्र में व्यवसायिक दुकान का संचालन करते हुए ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले फर्नीचर दुकान को निगम की टीम ने सील बंद कर दिया। काफी समय से इसकी शिकायतें निगम को मिलती रही है! कैलाशगर क्षेत्र के फर्नीचर दुकान में लकड़ी से विभिन्न तरह के उत्पाद तैयार किया जा रहा थाए कार्य के दौरान मशीनों से तेज आवाज आने से आस.पास के मोहल्ले वासी परेशान थे! नागरिकों द्वारा शिकायत करने पर सीलबंदी की कार्यवाही जोन आयुक्त पूजा पिल्ले की उपस्थिति में किया गया।

बाफना पेट्रोल पंप का किया असिसमेंट

दुर्ग। निगम द्वारा शहर में बड़े भवनों, काम्पलेक्स, व्यवसायिक परिसरों व आवासों का असिसमेंट किया जाएगा। इसके लिए निगम आयुक्त इंद्रजीत बर्मन द्वारा दल का गठन किया गया है। गठित टीम के सहा. राजस्व अधिकारी प्रकाशधर दीवान, बाजार प्रभारी थानसिंग यादव, सहा. राजस्व निरीक्षक शशी यादव ने आज बायपास रोड में स्थित बाफना पेट्रोल पंप का असिसमेंट किया गया। असिसमेंट में अतिरिक्त निर्माण की जानकारी मिली है। जिसके आधार पर बाफना पेट्रोल पंप को 103562 रु कर आरोपित किया है। आयुक्त के निर्देशानुसार इसी प्रकार शहर के अन्य निमार्णो का भी असिसमेंट कर टैक्स राशि वसूली जाएगी। आयुक्त ने टीम गठित कर कार्य करने के निर्देश दिए।

जेके लक्ष्मी सीमेंट संरक्षित क्षेत्र घोषित

दुर्ग। मेंसर्स जेके लक्ष्मी सीमेंट ग्राम मलपुरीखुर्द एवं खासाडीहए तहसील धमधा को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में 1 वर्ष की अवधि के लिए यह आदेश लागू होगा। संरक्षित क्षेत्र में अधिकृत व्यक्ति को छोड़कर अन्य व्यक्तियों का प्रवेश पूर्णतः निषेध रहेगा।

लंगूरवीर मंदिर समिति का डेढ़ वर्ष लंबा संघर्ष हुआ सफल

कल के उत्सव में मुख्यमंत्री, मंत्रीगण, सांसद, विधायक व महापौर सहित कई जनप्रतिनिधि होगें शामिल

नवप्रदेश संवाददाता

दुर्ग। शहर का आपापुरा वार्ड नं . 31 अब श्री लंगूरवीर मंदिर वार्ड के नाम से जाना जाएगा। वार्ड के नए नाम का राजपत्र में प्रकाशन के बाद इस आशय का स्वीकृति पत्र दुर्ग पहुंचने से श्री लंगूरवीर मंदिर समिति के सदस्यों के अलावा वार्डवासियों में खुशियों का माहौल है। नामकरण की इस प्रक्रिया में श्री लंगूरवीर मंदिर समिति की पिछले डेढ़ वर्षो की अथक प्रयास छिपी हुई है। जिसमें सफलता मिलने से उत्साहित मंदिर समिति द्वारा इस अवसर को यादगार बनाने 17 अक्टूबर को भव्य नामकरण समारोह का आयोजन किया गया है। समारोह में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू, कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे, सांसद विजय बघेल, विधायक अरुण वोरा, महापौर धीरज बाकलीवाल, सभापति राजेश यादव, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री राजेन्द्र साहू, वरिष्ठ पार्षद मदन जैन को अतिथि के रुप में आमंत्रित किया गया है। यह

समारोह प्रातः 11 बजे से शुरु होगा। समारोह में नामकरण की प्रक्रिया में संघर्ष करने वाले मंदिर समिति संरक्षक डा. गोविंद प्रसाद दीक्षित, पं. अशोक त्रिपाठी के अलावा अन्य सहयोगियों का सम्मान भी किया जाएगा। वहीं शाम को राजनांदगांव के प्रसिद्ध भजन गायक विकास बाफ्ना अपने भजनों की प्रस्तुति से श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध करेंगे। यह संपूर्ण समारोह कोरोना संक्रमण के मद्देनजर शासन. प्रशासन के निर्देशों का पालन करते हुए मंदिर में आयोजित किए गए है। यह बातें श्री लंगूरवीर मंदिर समिति के सदस्य मानव सोनकर ने गुरुवार को मीडिया से चर्चा में कही। श्री सोनकर ने बताया कि आपापुरा वार्ड 31 को श्री लंगूरवीर मंदिर वार्ड का नया नाम दिलाने श्री लंगूरवीर मंदिर समिति पिछले डेढ़ वर्ष संघर्षरत रही है। नए नामकरण के लिए मंदिर समिति द्वारा पहला आवेदन 18 अप्रैल 2019 को नगर निगम को दिया गया था। जिसके बाद से नामकरण प्रक्रिया की फाइलें नगर निगम, शासन. प्रशासन स्तर पर चलती रही हैए लेकिन अंततः डेढ़ वर्ष बाद भगवान लंगूरवीर के आर्शिवाद से वार्ड का नया नाम श्री लंगूरवीर मंदिर वार्ड का 27 अगस्त 2020 को राजपत्र में प्रकाशन हुआ और 7 अक्टूबर 2020 को इस आशय की स्वीकृति का पत्र दुर्ग पहुंचा। जो वार्डवासियों के लिए बड़ा सुखद पल है। श्री सोनकर ने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल व कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे की श्री लंगूरवीर मंदिर पर आस्था है। उनके नाम से नवरात्रि में मंदिर में ज्योत प्रज्वलित होते है। आपापुरा वार्ड अब श्री लंगूरवीर मंदिर वार्ड के नाम से हो गया है। इस नामकरण समारोह में मुख्यमंत्री व कृषि मंत्री को भी आमंत्रित किया गया है। जिनके आगमन से समारोह की भव्यता और बढ़ जाएगी। नामकरण समारोह की तैयारियों में मंदिर के पंडित अशोक त्रिपाठीए ट्रस्टी चिंताराम सोनकर, युवराज सार्वा, प्रभास त्रिपाठी, सूरज सोनकर, राहुल सोनकर, शिवम् गुप्ता, प्रांजल त्रिपाठी एवं अन्य सदस्य जुटे हुए है।

डेढ़ करोड़ से अंडा चौक मैदान का कायाकल्प

नवप्रदेश संवाददाता

भिलाई। अंडा खुर्सीपार के मैदान में दिन के अलावा रात्रि में भी खिलाड़ी अभ्यास कर सकेंगे। यहां फुटबाल, कबड्डी, वॉलीबॉल और खो.खो जैसे अन्य खेलों के मैच भी हो सकेगा। महापौर व विधायक देवेन्द्र यादव ने निगम के अधिकारियों को खिलाड़ियों की मांग के अनुसार मैदान को खेल मैदान के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए थे। महापौर व आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी के निर्देश पर अधिकारियों ने मैदान को लगभग तैयार कर लिया है, कुछ कार्य ही शेष रह गए है। पूरे मैदान

में रोशनी के लिए है 6 फ्लड लाइट लगाई गई है, एक फ्लड लाइट के पोल में 55 लाइटें है जहां फ्लड लाइट की रोशनी और कारपेट घास वाले मैदान में फुटबाल, कबड्डी जैसे आउट डोर खेल के मुकाबले हो सकते है। खुर्सीपार का दूसरा सबसे बड़ा मैदान होगा।

नेशनल हाइवे के किनारे स्टेडियम है। जहां खिलाड़ी क्रिकेट की प्रैक्टिस करते हैं। अन्य खेलों के लिए खिलाड़ियों को इधर उधर मैदान का तलाश करना पड़ता था। अंडा चौक का मैदान विकसित होने से खिलाड़ियों की यह समस्या दूर हो गई है।

चार साल पहले अंडा चौक के सामने की जगह खाली पड़ी थी। जिसे निगम प्रशासन ने पहले जगह को सुरक्षित करने के लिए सौंदर्यीकरण का प्रस्ताव तैयार किया। 1 करोड़ 48 लाख की लागत से मैदान के चारों ओर फ्लड लाइटए कारपेट ग्रास एवं पाइपलाइन बिछाई गई है! घूमने के लिए फुटपाथ बना हुआ है। फुटपाथ के किनारे फुल और पौधे लगाए जा चुके हैं। प्रशासनिक भवन और टायलेट का निर्माण किया जा चुका है।

डॉ. कलाम के जन्मदिन पर ऑनलाइन आयोजन

नवप्रदेश संवाददाता

भिलाई। शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला नेवई में ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित कर मिसाइल मैन व पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का जन्मदिन विश्व विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया गया। अगर सूरज की तरह चमकना है तो पहले सूरज की तरह तपना सीखो।ष् मिसाइल मेन के नाम से जानें जाजे वाले भारत के 11वें राष्ट्रपति अबुल पकिर जैनुल्लाब्दीन 2002.2007 तक भारत की जनता के वो प्रकाशमान सितारे थे जिनका स्वयं का जीवन बेहद संघर्षपूर्ण रहा परंतु भारत की नई पीढ़ी के लिए प्रेरणास्रोत है। वैज्ञानिक और राष्ट्रपति के रूप में देश के लिए उन्होंने बहुत बडा योगदान दिया।संस्था की शिक्षिका डॉ नीलाजंना जैन ने आनलाइन विधार्थियों को कलाम के जीवन से परिचित कराते हुए किस तरह अपने जीवन में भी कितनी ही कठिन परिस्थितियाँ आ जाए पर हमे लक्ष्य को पूर्ण करने का प्रयास करते रहना चाहिए। इसरो के लिए दिया गया उनका योगदान अविस्मरणीय है। उनके नेतृत्व में रोहिणी-1 लांच, प्रोजेक्ट डेविल और प्रोजेक्ट वेलिएंट मिसाइलें अग्नि और पृथ्वी बनाकर देश की सामरिक शक्ति को बढाया। इनके कुशल नेतृत्व में पोखरण मे भारत ने अपना दूसरा सफल परीक्षण किया। बच्चों से उन्हें बहुत लगाव थाए वे उन्हें अपने सपनों को पूरा करने का मंत्र देते थे। वे एक राष्ट्रीय शिक्षक के रूप में हम सब के पथ प्रदर्शक रहे। सूर्य की तरह जलकर ही वह सूर्य की तरह चमके और इस देश को अपने व्यक्तित्व व कृतित्व से आलोकित कर गए। कार्यक्रम में संस्था प्रमुख जीके बैस, शशिकला वर्मा, रजनी यादव, उषाकिरण कौशिक, ज्योति वर्मा, अमृता यादव, पंकज, भूपेश, साक्षी, श्वेता, हर्ष, लोकेश्वर आदि 57 बच्चे उपस्थित थे।

कोरोना वायरस... कोरोना संक्रमण का खतरा अभी टला नहीं है...

कोरोना टेस्ट कराने से लोग न कतराएं: हरिओम

नवप्रदेश संवाददाता

भिलाई। देश और प्रदेश के साथ ही भिलाई दुर्ग में भी कोरोना का खतरा अभी नहीं टला है। दुर्ग भिलाई में भी प्रतिदिन कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आ रहे है। इसकी मुख्य वजह यह है कि अभी भी लोग कोरोना को गंभीरता से लेने के लिए तैयार नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों की अव्हेलना की जा रही है। मास्क लगाना लोग अपनी शान के खिलाफ समझने लगे है। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं कर रहे है। नतीजतन कोरोना वासरस का प्रकोप और ज्यादा

फैल सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन से लेकर केन्द्रिय स्वास्थ्य मंत्रालय तक ने कहा है कि आने वाले ठंड के मौसम में कोरोना वायरस का संक्रमण और ज्यादा फैल सकता है। मेकाहारा रायपुर में पदस्थ पल्मोनरी मेडिकल के विशेषज्ञ डॉ. आरके पांडा ने भी प्रदेशवासियों को आगाह किया है कि कोरोना संक्रमण का खतरा बरकरार है और ठंड के बढने से यह और फैल सकता है। सामने नवरात्री, दशहरा, दीपावली और छठ पर्व जैसे कई त्यौहार है इस दौरान यदि लापरवाही बरती गई तो कोरोना वायरस का संक्रमण और तेजी से फैल सकता है। डाक्टरों के मुताबिक सर्दी बुखार जैसे लक्षणों में खुद ही डॉ. बन कर दवाई न ली जाएं बल्कि डाक्टर को दिखाकर और उनकी सलाह पर कोरोना टेस्ट जरूर कराया जाएं। जितनी जल्दी इलाज शुरू होगा स्वास्थ्य होने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। किन्तु देखा जा रहा है कि लोग कोरोना टेस्ट कराने से कतरा रहे है जबकि सरकार ने कोरोना टेस्ट की समुचित व्यवस्था की है। यदि लोग इमानदारी से कोरोना टेस्ट कराएं तो कोरोना वायरस के संक्रमण से अपने परिवार और परिचितों को बचा सकते है। इसके साथ ही मास्क लगाना व भीड़ से बचने निहायती जरूरी है। सावधानी नहीं बरती तो दुर्घटना घटते देर नहीं लगेगी। ठंड के मौसम में प्रदुषण भी बढ़ता है जो स्वास्थ्य और दमा रोगियों के लिए खतरनाक है। ऐसे लोगों को कोरोना वायरस अपनी चपेट में ले सकता है। इसलिए विशेषज्ञ चिकित्सकों ने सलाह दी है कि आने वाले ठंड के मौसम में विशेष सावधानी बरतने की सख्त जरूरत है वरना कोरोना वायरस भयावह रूप धारण कर सकता है।

गोबर के दिए पहुँचने लगे स्विटजरलैंड व लंदन

नवप्रदेश संवाददाता

दुर्ग। कुछ कर गुजरने की अगर ठान ले तो बड़े से बड़ा लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में बन रहे गोबर के दिए प्रदेश के बाहर ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पॉपुलर होने लगे हैं। कलेक्टर डॉण् सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे और एसपी श्री प्रशांत ठाकुर आज भिलाई में गोबर से दिए बना रहे समूह उड़ान नई दिशा की महिलाओं से मिले।

समूह की संचालिका श्रीमती निधि चन्द्राकर ने जब बताया कि उनके द्वारा निर्मित दियों की मांग प्रदेश के बाहर तो है ही बल्कि उनको कतर और स्विड्जरलैंड से भी आर्डर मिले हैं।इस बात पर कलेक्टर और एसपी बहुत खुश हुए और महिलाओं को शुभकामनाएं दीं। समूह ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा जब से उनके कार्य को सोशल मीडिया और अखबारों के माध्यम से प्रचारित किया गया है तब से इतने आर्डर मिल रहे जितने की आशा नहीं थी। इस पर कलेक्टर ने सलाह दी कि आर्डर मिले तो लीजिएए ग्रामीण अचंल की महिलाओं को जोड़कर काम कीजिये उनको प्रशिक्षित कीजिये और दिए सप्लाई कीजिये। एसपी श्री प्रशांत ठाकुर ने भी महिलाओं की मेहनत और हुनर की तारीफकी और शुभकामनाएं दीं।

नाम-परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं SIMRAN KAUR / SIMRAN KAUR ANAND W/o HARCHARAN SINGH ANAND निवासी H.No. 22/A ST.6, SEC.B. PANCHSHEEL, Borsi Durg (C.G.) यह शपथ करती हूं। कि मैने अपना यह पुराना नाम को त्याग कर नया नाम AMARPREET KAUR W/o HARCHARAN SINGH ANAND रख लिया है। अतः आज से मुझे समस्त शासकीय, अर्धशासकीय व अन्य दस्तावेजो में मेरे नए नाम AMARPREET KAUR W/o HARCHARAN SINGH ANAND से ही जाना पहचाना जाए।

शपथकर्ती
AMARPREET KAUR
H.No. 22/A ST.6,
SEC.B. PANCHSHEEL,
Borsi Durg (C.G.)

नाम-परिवर्तन

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं जहीर खान (JAHIR KHAN) पिता आ. जान आलम खान (JAN ALAM KHAN) निवासी म.क्रमांक 133, नंदू परिहार घर के सामने वार्ड 41 केलाबाड़ी जिला दुर्ग (छ.ग.) का निवासी हूं। पूर्व में मैं जहीर खान (ZAHIR KHAN) के नाम से जाना जाता था। मैने अब अपना नाम जहीर खान (JAHIR KHAN) रख लिया हूं। तथा इसी नाम से जाना पहचाना एवं पुकारा जाता हूं। अतः मेरे समस्त शैक्षणिक, शासकीय एवं अर्धशासकीय अभिलेख/ दस्तावेजों में मेरा संशोधित नाम (JAHIR KHAN) से जाना पहचाना व पुकारा एवं पढ़ा जाए।

दिनांक 15.10.2020

शपथकर्ता
जहीर खान
निवास-म.क्र. 133, नंदू परिहार
घर के सामने वार्ड क्रं. 41 केलाबाड़ी
जिला दुर्ग (छ.ग.)
मो. 9827240786

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार धमधा जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-27/वर्ष 2020-21
ग्राम भाठाकोकड़ी प.ह.न. 16

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक सागर सिंह आ. रतन सिंह अन्य 04 साकिन भाठाकोकड़ी प.ह.न. 16 तहसील धमधा जिला दुर्ग ने ग्राम भाठाकोकड़ी में स्थित शामिलात खाते की कृषि भूमि खाता क्रं. 378 ख.न. 1030 रकबा 1.04 हे. भूमि का खाता बटवारा कराने आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

यदि जिस किसी भी व्यक्ति को वाद भूमि का बटवारा कराने के संबंध में कोई आपत्ति दावा या उजर हो तो स्वयं इस न्यायालय में पेशी दिनांक 12.11.2020 को लिखित में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज ईश्तहार आज दिनांक 12.10.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय के सील मुहर से जारी किया गया।

मुहर
अतिरिक्त तहसीलदार
धमधा जिला दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर जिला दुर्ग (छ.ग.)

मामले की श्रेणी-राजस्व

ईश्तहार

मा.क्रं. 20201010100064
विषयः अ-06 वर्ष 2020-21
कुरुद प.ह.न. 00050(470(2.3500 हे.)
पक्षकारों का विवरण : आवेदक पक्षकार-
अनिल कुमार बंजारे
अनावेदक पक्षकार-

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक अनिल कुमार बंजारे पिता स्व. धरम दास बंजारे पता झंडा चौक कुरुद भिलाई द्वारा ग्राम कुरुद प.ह.न. 19 अ रा.नि.म. कोहका तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि स्वामी हक की भूमि खसरा नंबर 470 रकबा 2.35 हे. है जो उसके स्व. पिता धरमदास बंजारे आ. चंदूलाल बंजारे के नाम पर दर्ज है। भूमिस्वामी धरमदास बंजारे मृत्यु दिनांक 27.05.2020 को हो जाने के कारण उसके विधिक वारिसानों का नाम दर्ज किए जाने बाबत् आवेदन पत्र मय खसरा बी-1, मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत किया है।

उपरोक्त भूमि का नामांतरण किए जाने पर जिस किसी भी व्यक्ति संस्था को उजर या दावा हो तो सुनवाई तिथि दिनांक 31.10.2020 तक या उसके पूर्व स्वयं या अपने अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपनाा आपत्ति पेश कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 13.10.2020 को जारी किया गया है।

मुहर
अतिरिक्त तहसीलदार
भिलाई नगर (छ.ग.)

नाम-परिवर्तन

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं संतोष रामटेके पिता श्री विजय रामटेके जाति महार निवासी वार्ड क्रं. 20 शीतला पारा ग्राम व पोस्ट रसमड़ा जिला दुर्ग (छ.ग.) का निवासी हूं। मेरे कक्षा पहली से 12 वीं तक के शालेय दस्तावेज में मेरा नाम संतोष दर्ज है। मेरे जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड एवं अन्य दस्तावेज में मेरा नाम संतोष रामटेके दर्ज है। यह कि संतोष रामटेके मेरा पूरा नाम है एवं मैं अपने पूरे नाम संतोष रामटेके के नाम से जाना पहचाना व पुकारा एवं पढ़ा जाए।

शपथकर्ता
संतोष रामटेके

नाम-परिवर्तन

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं श्रीमती नजरीन बानो पति श्री मोहम्मद हबीब निवासी वार्ड क्रं. 38 मिलपारा जिला दुर्ग (छ.ग.) का निवासी हूं। मेरी पुत्री मनतशा निजामी की जन्म तिथि 12.11.2005 है। यह कि मेरी पुत्री मनतशा निजामी के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में मेरा नाम तशनीम दर्ज है। जो कि मेरे विवाह के पूर्व का नाम है जो मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज है। मेरा निकाह दिनांक 12.05.1996 को श्री मोहम्मद हबीब पिता मोहम्मद इलियास के साथ हुआ है तथा मुस्लिम रिति रिवाज अनुसार निकाह पश्चात मेरा नाम श्रीमती नजरीन बानो पति श्री मोहम्मद हबीब हो गया है जो कि मेरे आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, पासपोर्ट, बैंक खाता एवं मेरी पुत्री मनतशा निजामी के जन्म प्रमाण पत्र में दर्ज है। मेरी पुत्री के भविष्य के समस्त शासकीय/अर्धशासकीय एवं अन्य प्रमाण पत्रों एवं दस्तावेजों में अपने विवाह के बाद का नाम श्रीमती नजरीन बानो दर्ज करवाना चाहती हूं। अतः यह शपथ पत्र राजपत्र में प्रकाशन हेतु प्रस्तुत करना हैं।

शपथकर्ती
नजरीन बानो

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला - दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा-पत्र

रा.प्र.क्र. ई-कोर्ट	पक्षकार का नाम श्री चिरंजीव सोनी	ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन नं. 202006100400970

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री चिरंजीव सोनी आ. स्व. गोविंद लाल सोनी निवासी क्वा.नं. 370 बी सड़क 47 जोन 2 रेल्वे कालोनी चरौदा तह. पाटन व जिला दुर्ग द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित भूमि को उसके सम्मुख दर्शित प्रयोजन के लिए व्यपवर्तन/ पुर्ननिर्धारण हेतु आवेदन पत्र छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 172 सहपठित धारा 59(2)(5) तहत् आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया हैं, जिसके संबंध में इस न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन हैं।

अनुसूची

ग्राम/प.ह.नं.जहां भूमि स्थित है	खसरा नंबर	रकबा	प्रयोजन
ग्राम रिसाली प.ह.न. 22 तह.व जिला दुर्ग	167/13	0.015 हें 1400 वर्गफीट	आवासीय

अतएव उपरोक्त वर्णित आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति, संस्था, शासकीय विभाग, सार्वजनिक या अर्धसार्वजनिक उपक्रम को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वे इस उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस के भीतर अपनी लिखित आपत्ति/दावा स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत कालावधि के बाद प्राप्त आपत्ति/दावा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 26.06.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की पदमुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर
अनुविभागीय अधिकारी
दुर्ग, जिला दुर्ग

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला - दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा-पत्र

रा.प्र.क्र. ई-कोर्ट	पक्षकार का नाम श्री योगेश चौधरी	ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन नं. 20201010040014‍8

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री योगेश चौधरी आ. श्री शिवप्रसाद चौधरी निवासी मैत्रीनगर रिसाली भिलाई तह. व जिला दुर्ग द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित भूमि को उसके सम्मुख दर्शित प्रयोजन के लिए व्यपवर्तन/ पुर्ननिर्धारण हेतु आवेदन पत्र छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 172 सहपठित धारा 59(2)(5) तहत् आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया हैं, जिसके संबंध में इस न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन हैं।

अनुसूची

ग्राम/प.ह.नं.जहां भूमि स्थित है	खसरा नंबर	रकबा	प्रयोजन
ग्राम रिसाली प.ह.न. 22 तह.व जिला दुर्ग	699/24	0.010 हें 1687.5 वर्गफीट	आवासीय

अतएव उपरोक्त वर्णित आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति, संस्था, शासकीय विभाग, सार्वजनिक या अर्धसार्वजनिक उपक्रम को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वे इस उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस के भीतर अपनी लिखित आपत्ति/दावा स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत कालावधि के बाद प्राप्त आपत्ति/दावा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 06.10.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की पदमुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर
अनुविभागीय अधिकारी
दुर्ग, जिला दुर्ग

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21
ई.पंजी.- 202010100700108

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक इन्द्रकुमार साहू पिता स्व. विषयराम साहू निवासी ग्राम पोटियाकला तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम पोटियाकला तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 344/4 रकबा 0.0570 हे. भूमि जो कि आवेदक/ शामिलात सहखातेदार के नाम पर वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज है। आवेदित भूमि के खातेदार विषयराम साहू आ. बसंत साहू की मृत्यु हो जाने पर फौती दर्ज कर मृतक खातेदार के सभी विधिक वारिसानों का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 29.10.2020 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 09.10.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर
तहसीलदार
दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार भिलाईनगर जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

रा.प्र.क्रं./अ-06/वर्ष 2020-21

एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री विकेश्वर प्रसाद पिता स्व. तिहारु राम ठाकुर निवासी चुनकट्टा, सेलूद पाटन जिला दुर्ग के द्वारा मौजा कचांदुर प.ह.न 17 स्थित भूमि खसरा नंबर 1069 रकबा 1.0900 हें भूमि पिता स्व. तिहारु राम ठाकुर पिता रामसिंह के नाम पर दर्ज है। भूमिस्वामी तिहारु राम ठाकुर पिता रामसिंह की मृत्यु दिनांक 21.12.2014 को हो चुकी है। मृतक भूस्वामी के मृत्यु पश्चात राजस्व अभिलेख से नाम विलोपित कर उनके वारिसानों का नाम दर्ज किए जाने आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 11.11.2020 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 08.10.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर
अतिरिक्त तहसीलदार
भिलाई नगर (छ.ग.)

न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग उतई सर्किल (छ.ग.)

ईश्तहार

रा.प्र.क्र./अ-06/ वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका श्रीमती दान बाई पति स्व. निर्मलदास निवासी मकान नं. 03 वार्ड 08 सोनसायटोला तह. अम्बागढ़ चौकी जिला राजनांदगांव के द्वारा आवेदिका के पति निर्मलदास पिता श्री सहदेव साहू एवं भगवान दास के संयुक्त भूमि स्वामित्व हक एवं कब्जे की भूमि ग्राम पुरई स्थित भूमि खसरा नंबर 783/4 रकबा 0.04 हे. भूमिस्वामी हक में स्थित है। संयुक्त खाते की भूमि मे से आवेदिका के पति निर्मलदास साहू पिता श्री सहदेव साहू की मृत्यु 10.09.2019 को हो गई है। मृतक भूस्वामी की फौती दर्ज कर वारिसानों के नाम पर नामांतरण किए जाने आवेदन प्रस्तुत किया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत दिनांक 21.10.2020 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 03.10.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर
नायब तहसीलदार
दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग उतई सर्किल (छ.ग.)

ईश्तहार

रा.प्र.क्र./अ-06/ वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका श्रीमती मंजू यादव पति रामदुलारे यादव विरुद्ध राजेन्द्र कुमार भारती पिता स्व. मंगला भारती निवासी एकता नगर धनोरा तह. व जिला दुर्ग के द्वारा व्यवहार वाद क्रं. 286-अ/2016 पक्षकार राजेन्द्र कुमार भारती विरु. मंजू यादव वगै. न्यायालय श्रीमती स्वर्णलता राजमणी तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, नेशनल लोक अदालत खण्डपीठ क्रं. 19 दुर्ग जिला दुर्ग छ.ग. के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.03.2019 के आदेशानुसार मौजा हनोदा प.ह.न. 39 रा.नि.म. अण्डा तह. व जिला दुर्ग में स्थित खसरा नं. 86/1 रकबा 0.400 हे. को राजस्व रिकार्ड से अनावेदक राजेन्द्र कुमार का नाम विलोपित कर आवेदिका श्रीमती मंजू यादव के नाम पर नामांतरण किए जाने आवेदन प्रस्तुत किया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत दिनांक 31.10.2020 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 13.10.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर
नायब तहसीलदार
दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय नायब तहसीलदार भिलाई जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

रा.प्र.क्र./अ-06/ वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक मनोहर पिता स्व. काशी पटेल निवासी उरला दुर्ग मौजा उरला प.ह.नं. 07 रा.नि.मं. सिकोला तह. व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नंबर 85/1, 85/2, 385, 387, रकबा 0.01001, 0.5570, 0.3800, 0.0650 हे. के नाम पर दर्ज है भूमिस्वामी की मृत्यु दिनांक... को हो जाने के कारण वारीसानों का नाम दर्ज करने आवेदन पेश किया है।

अतएव उपरोक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा/आपत्ति करना हो तो नियत पेशी दिनांक 29.10.2020 अथवा प्रकाशन तिथि से 15 दिवस तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 13.10.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर के साथ जारी किया गया।

मुहर
नायब तहसीलदार
दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21
ई.कोर्ट-202010100700125

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक बलजीत सिंह पिता स्व. कुलवंत सिंह निवासी ग्राम संतराबाड़ी तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 1179/96 रकबा 0.008 हें. भूमि को दानदाता श्रीमती महेन्द्र कौर पिता स्व. कुलवंत सिंह निवासी ग्राम संतराबाड़ी दुर्ग से रजिस्टर्ड दानपत्र दिनांक 08.10.2020 को दान में प्राप्त किया है। उक्त आवेदित भूमि को रजिस्टर्ड दानपत्र के आधार पर स्वयं के नाम पर नामांतरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 29.10.2020 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 13.10.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर
तहसीलदार
दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

रा.प्र.क्र./अ-06/ वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक टारजन यादव पिता रमेशर उर्फ रमेश यादव निवासी सिकोला बस्ती तह. व जिला दुर्ग मौजा सिकोला प.ह.नं. 08 रा.नि.मं. सिकोला तह. व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नंबर 109/10 का टु. रकबा 684 वर्गफीट हे. भूमि को विक्रेता/ आम मुख्तयार सुभद्रा पिता/ पति स्व. रामकृष्ण अन्य से दिनांक 06.09.2006 को क्रय कर रजिस्ट्री बैनामा निष्पादित किया है आवेदक द्वारा उक्त बैनामा के आधार पर नामांतरण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

अतएव उपरोक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा/आपत्ति करना हो तो नियत पेशी दिनांक 29.10.2020 अथवा प्रकाशन तिथि से 15 दिवस तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 12.10.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर के साथ जारी किया गया।

नायब तहसीलदार
दुर्ग (छ.ग.)
मुहर

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

रा.प्र.क्र./1408/अ-06/वर्ष 2019-20

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका भगवन्तीन बाई साहू पिता/पति कृष्ण कुमार साहू अन्य 4 निवासी ग्राम पुलगांव तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम पुलगांव तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 148/16 (क), 148/16 (घ) रकबा 0.301, 0.002 हे. भूमि जो कि आवेदक/ शामिलात सहखातेदार के नाम पर वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज है। आवेदित भूमि के खातेदार कृष्ण कुमार साहू आ. फत्तेलाल साहू की मृत्यु हो जाने पर फौती दर्ज कर मृतक खातेदार के सभी विधिक वारिसानों का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 26.10.2020 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 18.09.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर
तहसीलदार
दुर्ग (छ.ग.)

स्वतंत्र किसान - सशक्त किसान

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
भारत सरकार

21वीं सदी में भारत का किसान बंधनों में नहीं, खुलकर खेती करेगा। 21वीं सदी का किसान जहां मन किया वहां फसल बेचेगा और जहां ज्यादा पैसा मिले वहां पर फसल बेचेगा।

कृषि सुधारों की अहम कड़ी
एक लाख करोड़ रुपये का कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड

अब किसान भाई-बहन इस फंड की मदद से उत्पादन और मार्केटिंग से जुड़ी बेहतर सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं

- **2 करोड़ रुपये** तक के ऋण पर **सरकार** दे रही है **गारंटी**
- **सभी** सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अलावा **5** निजी क्षेत्र के बैंकों से ऋण सुविधा
- **2 करोड़ रुपये** तक के ऋण पर, ब्याज में **3% की छूट** अधिकतम **7** वर्ष के लिए
- **ऋण पुनर्भुगतान** के लिए मोरेटोरियम **6 महीने** से **2 वर्ष** तक

आगामी समय में कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण

1. गोदामों और साइलोस का निर्माण
2. छंटाई-ग्रेडिंग इकाइयां, पैक हाउसों का निर्माण
3. सप्लाई चेन और कोल्ड चेन सुविधाओं का सृजन
4. प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्रों की स्थापना
5. 'बीज से बाजार' तक के विजन को मजबूती

कौन ले सकता है लाभ ?

- सभी किसान भाई-बहन
- कृषि उद्यमी
- किसान उत्पादक संघ
- प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां
- स्वयं-सहायता समूह

छोटे और सीमांत किसानों को विशेष लाभ

- छोटे और सीमांत किसानों की को-ऑपरेटिव सोसायटियों, किसान उत्पादक संघों या स्वयं-सहायता समूहों के लिये वित्त-पोषण की सुविधा।
- **10,000** किसान उत्पादक संघ स्थापित हो रहे हैं।

अब तक **1,566** करोड़ रुपये की फंडिंग स्वीकृत।
योजना का लाभ लेने के लिये जिला कलेक्टर या क्षेत्रीय प्रबंधक, नाबार्ड से सम्पर्क करें या वेबसाइट **www.agriinfra.dac.gov.in** पर आवेदन करें।

किसान कॉल सेंटर 1800-180-1551 | AgriGoI | AgriGoI

davp 01101/13/0014/2021

संपादकीय

मदिरालय खुले तो मंदिर बंद क्यों

अनलॉक-5 के दौरान देशभर में पिछले 7 माह से बंद पड़े सीनेमाघरों को भी खोलने की सशर्त अनुमति दे दी गई है। इसके पूर्व ही मदिरा दुकानों, बारों और होटलों को भी खोलने की अनुमति मिल चुकी थी किन्तु महाराष्ट्र सहित कुछ राज्यों में अभी भी मंदिरों के द्वार भक्तो के लिए बंद रखे गए है। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि जब मदिरालय खोले जा सकते है तो मंदिरों को आखिर क्यों बंद रखा जा रहा है। महाराष्ट्र स्थिति शिरडी के सांई बाबा के मंदिर को खोलने की मांग को लेकर साधु संतो ने महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। साधु संतों का कहना है कि क्या कोरोना वायरस मंदिरों से ही फैलता है मदिरालयों से कोरोना नहीं होता है क्या? इस बारे में महाराष्ट्र के राज्यपाल ने भी ठाकरे सरकार को नसीहत दी थी की वो साधु संतो की भावनाओं का सम्मान करते हुए बंद पड़े मंदिरों को खोलने के लिए उचित कदम उठाएं लेकिन उद्धव सरकार अभी भी कोरोना वायरस के संक्रमण का हवाला देकर मंदिरों को खोलने के पक्ष में नहीं है जबकि देश के विभिन्न राज्यों में मंदिरों को भक्तों के लिए खोला जा चुका है और वहां भक्तगण सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने अराध्यदेव के दर्शन का लाभ उठा रहे है। ऐसा महाराष्ट्र में भी हो सकता है लेकिन उद्धव ठाकरे सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है जिससे संत समाज में उद्धव सरकार के खिलाफ असंतोष फैल रहा है और वे आंदोलित हो रहे है बेहतर होगा कि महाराष्ट्र सरकार इस बारे में जल्द से जल्द उचित निर्णय लें। सरकार को यह समझना चाहिए कि भक्तो की भावनाएं मंदिरों से जुड़ी हुई है कोरोना काल में वे मानसिक शांती के लिए भगवान की शरण में जाना चाहते है यदि वे सावधानी बरतते है और सामाजिक दूरी का पालन करते है तो मंदिरों को खोलने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। जब सरकार सिनेमाहाल और स्वीमिंग पूल आदि को खोल रही है जहां कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा ज्यादा है तो मंदिर खोलने में एतराज आखिर क्यों। शराब दुकाने खोलने से कई राज्यों में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैला है क्योंकि वहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जाता लेकिन सरकार को इससे भारी राजस्व मिलता है इसलिए वह शराब दुकानों को तो खोल चुकी है लेकिन मंदिरों को खालने के नाम पर आनाकानी कर रही है जो कतई उचित नहीं है।

विचार

फिल्मी-जगत का गुस्सा

डॉ. वेदप्रताप वैदिक

देश के 34 फिल्म-निर्माता संगठनों ने दो टीवी चैनलों और बेलगाम सोश्यल मीडिया के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में मुकदमा ठोक दिया है। इन संगठनों में फिल्मी जगत के लगभग सभी सर्वश्रेष्ठ कलाकार जुड़े हुए हैं। इतने कलाकारों का यह कदम अभूतपूर्व है। वे गुस्से में हैं। कलाकार तो खुद अभिव्यक्ति की आजादी के अलम बरदार होते हैं। लेकिन सुशांत राजपूत के मामले को लेकर भारत के कुछ टीवी चैनलों ने इतना ज्यादा हो-हल्ला मचाया कि वे अपनी मर्यादा ही भूल गए। उन्होंने देश के करोड़ों लोगों को कोरोना के इस संकट-काल में मदद करने, मार्गदर्शन देने और रास्ता दिखाने की बजाय एक फर्जी जाल में रोज़ घंटों फंसाए रखा। सुशांत ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उसकी हत्या की गई है, इस मनगढ़त कहानी को लोक-लुभावन बनाने के लिए इन टीवी चैनलों ने क्या-क्या स्वांग नहीं रचाए ? इन्होंने सुशांत के कई साथियों और परिचितों पर उसे ज़हर देने, उसे नशीले पदार्थ खिलाने, उसके बैंक खाते से करोड़ों रु. उड़ाने और उसकी रंगरलियों के कई रसीले किस्से घढ़ लिए। यह सारा मामला इतना उबाऊ हो गया था कि आम दर्शक सुशांत का नाम आते ही टीवी बंद करने लगा था। इन बेबुनियाद फर्जी किस्सों के कारण उस दिवंगत कलाकार की इज्जत तो पैंदे में बैठी ही, फिल्मी जगत भी पूरी तरह बदनाम हो गया। यह ठीक है कि फिल्मी जगत में भी कमोबेश वे सब दोष होंगे, जो अन्य क्षेत्रों में पाए जाते हैं लेकिन इन चैनलों ने ऐसा खाका खींच दिया जैसे कि हमारा बॉलीवुड नशाखोरी, व्यभिचार, ठगी, दादागीरी और अपराधों का अड्डा हो। सच्चाई तो यह है कि फिल्मी जगत पर जैसी सेंसरशिप है, किसी क्षेत्र में नहीं है। इसीलिए भारतीय फिल्में राष्ट्र निर्माण में बेजोड़ भूमिका अदा करती हैं। मुंबई के कलाकार मजहब, जाति और भाषा की दीवारों को फिल्मों में ही नहीं लांघते, अपने व्यक्तिगत जीवन में भी जीकर दिखाते हैं। सुशांत-प्रकरण में हमारे टीवी चैनलों ने अपनी दर्शक-संख्या (टीआरपी) बढ़ाने और विज्ञापनों से पैसा कमाने में जिस धूर्तता का प्रयोग किया है, वह उनकी इज्जत को पैंदे में बिठा रही है। यह ठीक है कि जिन नेताओं और पार्टी प्रवक्ताओं को अपना प्रचार प्रिय है, वे इन चैनलों की इस बेशर्मी को बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन देश में मेरे-जैसे लोग भी हैं, जो इन चैनलों के बेलगाम एंकरों को ऐसी ठोक लगाते हैं कि वे जिंदगी भर उसे याद रखेंगे। देश के कुछ टीवी चैनलों का आचरण बहुत मर्यादित और उत्तम है लेकिन सभी चैनलों पर 1994 के 'केबल टेलिविजन नेटवर्क रुल्स' सख्ती से लागू किए जाने चाहिए। उनको अभिव्यक्ति की पूरी आजादी रहे लेकिन यह देखना भी सरकार की जिम्मेदारी है कि कोई चैनल लक्ष्मण-रेखा का उल्लंघन न कर पाए और करे तो वह उसकी सजा भुगते।

खाद्यान्न के प्रबंधन से सिद्ध होगी खाद्य दिवस की सार्थकता

विश्व खाद्य दिवस पर विशेष

मुनीष भाटिया

खाद्य सुरक्षा और पोषण के उद्देश्य से जन जागरण हेतु संयुक्त राष्ट्र ने 16 अक्टूबर 1945 को विश्व खाद्य दिवस मनाने की शुरुआत की थी ह्व संयुक्त राष्ट्रन संघ की स्थीपना वर्ष 1945 में कृषि उत्पा दन और वंचित जनसँख्या के जीवन-यापन में सुधार, खाद्य सुरक्षा एवं पोषण के स्तषर को उन्नदत बनाने के उद्देश्य के साथ की गई थी किन्तु भुखमरी की समस्या से फिर भी निजात मिलती नहीं दिखती ह्व कांफ्रेस ऑफद फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ष 1979 से विश्व खाद्य दिवस मनाने की घोषणा की थी ताकि खाद्य सुरक्षा और पोषण के उद्देश्य से एक जन आन्दोलन खडा किया जा सके। विश्व में भूख से मरने वाले लोगों की संख्या पर अंकुश लगाने के लिए और खाद्यान्न के महत्व को समझते हुए एवं इसकी बर्बादी रोकने के लिए, वर्ष 1980 से प्रत्येक वर्ष 16 अक्टूबर को 'विश्व खाद्य दिवस' का आयोजन विश्व भर में इस उद्देश्य से शुरू किया गया।

संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का 40 फीसदी अनाज जो भारत में उत्पन्न होता है वह बर्बाद हो जाता है यह अपव्यय वभिन्न चरणों में होता है जैसे कि फसल की सिंचाई से लेकर उनके भंडारण और फिर उपभोक्ता द्वारा अनियमित उपयोग के स्तर पर होता है ।पर्याप्त उत्पादन के फलस्वरूप 40 प्रतिशत की उपज का अपव्यय हो जाना उस राष्ट्र के लिए भयंकर चिंताजनक है जहां की एक बड़ी आबादी कुपोषण का शिकार हो ।विश्व के तमाम देशों में उस देश के लोगों के खाद्यान्न की सुरक्षा बारे जानकारी देने के लिए 117 देशों का एक समूह बनाया गया है जो प्रत्येक वर्ष उस देश में भूख और कुपोषण इत्यादि पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है जिसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स के तौर पर विश्व पटल पर सार्वजनिक किया जाता है ।यह रिपोर्ट किसी देश में कुपोषित बच्चों के अनुपात, पांच साल से कम आयु वाले बच्चे जिनका वजन या लंबाई उम्र के अनुसार औसत से कम है और पांच साल से कम उम्र वाले बच्चों में मृत्यु दर के आधार पर तैयार की जाती है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत भूख और कुपोषण के मामले में वर्ष दर वर्ष निचले पायदान पर खिसकता जा रहा है जो कि भारत जैसे विकासशील जैसे देश के लिए लज्जा का विषय है ।वर्ष 2019 की इस 'ग्लोबल हंगर इंडेक्स' रिपोर्ट में भारत को 102वां स्थान मिला था । इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में अब भी भुखमरी खतरनाक स्तर पर मौजूद है। भारत का यह स्थान एशियाई देशों में सबसे निचले स्तर पर है। वर्ष 2014 में इस रिपोर्ट के अनुसार भारत 55वें पायदान पर,वर्ष 2015 में 80वें स्थान पर, साल 2016 में 97वें स्थान पर, साल 2017 में 100वें स्थान पर और साल 2018 में 103वें स्थान पर था। लगातार गिर रहे भूख और कुपोषण के मामलों के बावजूद देश में अनाज का 40 प्रतिशत बर्बाद हो जाना चिंता का विषय है जिसे उचित प्रबंधन से रोका जा सकता है ह्व

संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व स्तर से शुन्य भुखमरी करने के लिए सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किये हैं जिनमें वर्ष 2030 तक विश्व से भुखमरी मिटाना, सुरक्षित, पौष्टिक

विश्व खाद्यान्न दिवस को प्रत्येक वर्ष इस शपथ के साथ कि विश्व में खाद्यान्न की बर्बादी को रोक कर कुपोषण की समस्या को दूर किया जाये ह्व लेकिन अफसोस कि पर्याप्त अनाज के उत्पादन के बावजूद खाली पेट सोने वाले के आंकड़ों में कमी नहीं आई है बल्कि भूख से मरने वाले लोगों की संख्या में उत्तरोतर वृद्धि हो रही है ह्व यही कारण है कि भारत 'ग्लोबल हंगर इंडेक्स में निरंतर निचले पायदान पर खिसकता जा रहा है।

और पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है साथ ही कृषि की उन्नत तकनीक से उत्पादन बढाने और सुरक्षित भंडारण का लक्ष्य रखा है ताकि प्राकृतिक विपरीत परिस्थितियों में भी सभी को भर पेट पौष्टिक भोजन मिल सके ।वैसे तो आज भुखमरी की समस्या वैश्विक है । लगभग सभी देश किसी ना किसी रूप से भूख से मरने वालों की जनसँख्या चिंता का कारण बनी हुई है लेकिन भारत में उत्पादन की भरपूर पैदावार होने के बावजूद भूखे को पोषित अन्न ना मिल पाना हमारे विकास के सभी दावों पर प्रश्नचिंह उत्पन्न करता है ।पिछले दिनों लाक़डाउन के दौरान मजदूरों के पलायन में भारत में भूख की समस्या का भयावह चेहरा पूरे विश्व ने देखा ।यह प्रवासी मजदूरों की रोजी रोटी की समस्या ही है जो उन्हें रोज़गार की तलाश में अपनी रिहायशी स्थल से सैंकड़ों मील दूर महानगरों की और आकर्षित करती है ।आज़ादी के इतने वर्षों की बाद यह बड़े शर्म की बात है कि आम भारतवासी को उसके रिहाईशी स्थल पर रोजगार मुहैया करा पाने में हमारी आज तक की सभी सरकारें पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाई हैं ।स्थानीय मुद्दों को राष्ट्रीय मुद्दे बनाने की होड़ में किसी भी राजनैतिक दल का ध्यान देश में भुखमरी के खिलाफ एक आन्दोलन खड़ा करने में कोई प्रयास नहीं कर रही ।वोटों की चाह में आज भी भारत की भोली भाली गरीब जनता को हिन्दू मुस्लिम जैसे साम्प्रदायिक और अन्य जातिगत मुद्दों में ही फंसाए रखना चाहती हैं ताकि आम नागरिक का ध्यान इंसान की मूल जरूरत की और आकर्षित ही ना हो पाए। यह विडम्बना ही कही जायेगी कि भारत में एक वर्ग ऐसा भी है जहाँ खाद्य पदार्थों को बर्बाद किया जा रहा है वहीं एक तरफ एक विशाल जनसंख्या है जिसे दो जून की रोटी भी नसीब नहीं होती ।इसके लिए जरूरी है कि खाद्यान्न प्रबंधन के अंतर्गत समाज के प्रत्येक स्तर पर समुचित प्रबंधन किया जाये एवं किसी चरण पर यदि खाद्यान्न की बर्बादी हो रही है तो उसके सुधार हेतु कठोर कदम तत्काल प्रभाव से कार्यन्वित करवाने होंगे ।जिसकी शुरुआत स्वयं से ही करनी होगी और सर्वप्रथम हमें अपनी अनावश्यक खाद्य पदार्थों की खरीदारी को अंकुश लगाना होगा ।आवश्कता के अनुसार खाद्य पदार्थों की खरीद इनकी बर्बादी रोकने बारे हमारा पहला कदम हो सकता है ।एक अनुसंधान जांच में पाया गया कि एक मुश्त खरीद बर्बादी का कारण बनती है ।अतः घर की जरूरत के अनुसार खाद्य पदार्थों की खरीद एकमुश्त ना कर के टुकड़ों में क्रय किया जाए एवं बचे हुए भोजन के फेंकने की अपेक्षा उसे उपयोग करने की आदत डाली जाये तभी खाद्यान्न के अपव्यय को रोका जा सकता है। स्वतंत्रता के पश्चात अनाज की पैदावार में तो पांच गुना की वृधि हुई है पर यही अनाज सही हाथ तक पहुँचने की बजाए हर वर्ष बर्बाद हो रहा है जिसका मुख्य कारण मांग एवं आपूर्ती के मध्य संतुलन ना होना ही मुख्य कारक है ।यह विडम्बना ही है कि जहां भोजन की आवश्यकता है वहाँ की आबादी कुपोषण और भुखमरी से जूझ रही है और जहाँ आबादी के लिए पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्ध है वहां उचित भंडारण के अभाव में प्रत्येक वर्ष अनाज खराब हो जाता है ।प्रचुर मात्रा में खाद्यान्न की उपज के बावजूद भंडारण के अभाव में खुले में अनाज सड़ता रहता है जो कि सड़ने के बाद लागत मूल्य से कम, खुले बाजार में सरकार द्वारा विक्रय किया जाता है जिसमें शासकीय धन में भ्रष्टाचार का अंकुर फूटने लगता है अतः जरूरी है कि खाद्यान्न के मामले में मांग और आपूर्ती में पर्याप्त संतुलन रखा जाये और इसकी बर्बादी को रोका जा सके।

समाजवाद के प्रवर्तक थे महाराजा अग्रसेन

रमेश सर्राफ

कहते हैं कि एक बार अग्रोहा में बडी भीषण आग लगी। उस पर किसी भी तरह काबू ना पाया जा सका। उस अग्निकांड से हजारों लोग बेघरबार हो गये और जीविका की तलाश में भारत के विभिन्न प्रदेशों में जा बसे। पर उन्होंने अपनी पहचान नहीं छोड़ी। वे सब आज भी अग्रवाल ही कहलवाना पसंद करते हैं और उसी 18 गोत्रों से अपनी पहचान बनाए हुए हैं। आज भी वे सब महाराज अग्रसेन द्वारा निर्देशित मार्ग का अनुसरण कर समाज की सेवा में लगे हुए हैं। वैसे महाराजा अग्रसेन पर अनगिनत पुस्तके लिखी जा चुकी हैं। सुप्रसिद्ध लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जो खुद भी अग्रवाल समुदाय से थे। उन्होने 1871 में अग्रवालों की उत्पत्ति नामक एक प्रामाणिक ग्रंथ लिखा है। जिसमें विस्तार से इनके बारे में बताया गया है।

महाराजा अग्रसेन को समाजवाद का अग्रदूत कहा जाता है। अपने क्षेत्र में सच्चे समाजवाद की स्थापना हेतु उन्होंने नियम बनाया था कि उनके नगर में बाहर से आकर बसने वाले प्रत्येक परिवार की सहायता के लिए नगर का प्रत्येक परिवार उसे एक सिक्का व एक ईट देगा। जिससे आने वाला परिवार स्वयं के लिए मकान व व्यापार का प्रबंध कर सके। महाराजा अग्रसेन ने शासन प्रणाली में एक नयी व्यवस्था को जन्म दिया था। उन्होंने वैदिक सनातन आर्य सस्कृंति की मूल मान्यताओं को लागू कर राज्य में कृषि-व्यापार, उद्योग, गौपालन के विकास के साथ-साथ नैतिक मूल्यों की स्थापना की थी।

महाराजा अग्रसेन एक सूर्यवंशी क्षत्रिय राजा थे। जिन्होंने प्रजा की भलाई के लिए वणिक धर्म अपना लिया था। महाराज अग्रसेन ने नाग लोक के राजा कुमद के यहां आयोजित स्वंयवर में राजकुमारी माधवी का वरण किया। इस विवाह से नाग एवं आर्य कुल का नया गठबंधन हुआ। महाराजा अग्रसेन समाजवाद के प्रर्वतक, युग पुरुष, राम राज्य के समर्थक एवं महादानी थे। माता लक्ष्मी की कृपा से श्री अग्रसेन के 18 पुत्र हुये। राजकुमार विभु उनमें सबसे बड़े थे। महर्षि गर्ग ने महाराजा अग्रसेन को 18 पुत्र के साथ 18 यज्ञ करने का संकल्प करवाया। माना जाता है कि यज्ञों में बैठे 18 गुरुओं के नाम पर ही अग्रवंश की स्थापना हुई। ऋषियों द्वारा प्रदत्त अठारह गोत्रों को महाराजा अग्रसेन के 18 पुत्रों के साथ उनके द्वारा बसायी 18 बस्तियों के निवासियों ने भी धारण कर लिया। एक बस्ती के साथ प्रेम भाव बनाये रखने के लिए एक सर्वसम्मत निर्णय हुआ कि अपने पुत्र और पुत्री का विवाह अपनी बस्ती में नहीं दूसरी बस्ती में करेंगे। आगे चलकर यह व्यवस्था गोत्रों में बदल गई जो आज भी अग्रवाल समाज में प्रचलित है। धार्मिक मान्यतानुसार मर्यादा पुरुषोतम भगवान श्रीराम की चैंतीसवी पीढ़ी में सूर्यवशीं क्षत्रिय कुल के महाराजा वल्लभ सेन के घर में द्वापर के अन्तिमकाल और कलियुग के प्रारम्भ में अश्विन शुक्ल प्रतिपदा को महाराजा अग्रसेन का जन्म हुआ। जिसे दुनिया भर में अग्रसेन जयंती के रूप में मनाया जाता है। राजा

वल्लभ के अग्रसेन और शूरसेन नामक दो पुत्र हुये थे। अग्रसेन महाराज वल्लभ के ज्येष्ठ पुत्र थे। महाराजा अग्रसेन के जन्म के समय गर्ग ऋषि ने महाराज वल्लभ से कहा था कि यह बालक बहुत बड़ा राजा बनेगा। इस के राज्य में एक नई शासन व्यवस्था उदय होगी और हजारों वर्ष बाद भी इनका नाम अमर होगा। उनके राज में कोई दुखी या लाचार नहीं था। बचपन से ही वे अपनी प्रजा में बहुत लोकप्रिय थे। वे एक धार्मिक, शांति दूत, प्रजा वत्सल, हिंसा विरोधी, बली प्रथा को बंद करवाने वाले, करुणानिधि, सब जीवों से प्रेम, स्नेह रखने वाले दयालू राजा थे। महाराजा वल्लभ के निधन के बाद अपने नये राज्य की स्थापना के लिए महाराज अग्रसेन ने अपनी रानी माधवी के साथ सारे भारतवर्ष का भ्रमण किया। इसी दौरान उन्हें एक जगह शेर तथा भेडिये के बच्चे एक साथ खेलते मिले। उन्हें लगा कि यह दैवीय संदेश है जो इस वीरभूमि पर उन्हें राज्य स्थापित करने का संकेत दे रहा है। ऋषि मुनियों और ज्योतिषियों की सलाह पर नये राज्य का नाम अग्रेयगण रखा गया जिसे अग्रोहा नाम से जाना जाता है। वह जगह आज के हरियाणा के हिसार के पास हैं। आज भी यह स्थान अग्रहरि और अग्रवाल समाज के लिए तीर्थ के समान है। यहां महाराज अग्रसेन और मां लक्ष्मी देवी का भव्य मंदिर है। अग्रसेन अपने छोटे भाई शूरसेन को प्रतापनगर का राजपाट सौंप दिया। महाराजा अग्रसेन अग्रवाल जाति के पितामह थे।

उन्होंने परिश्रम और उद्योग से धनोपार्जन के साथ-साथ उसका समान वितरण और आय से कम खर्च करने पर बल दिया। जहां एक ओर वैश्य जाति को व्यवसाय का प्रतीक तराजू प्रदान किया वहीं दूसरी ओर आत्म-रक्षा के लिए शस्त्रों के उपयोग की शिक्षा पर भी बल दिया। उस समय यज्ञ करना समृद्धि, वैभव और खुशहाली की निशानी माना जाता था। महाराज अग्रसेन ने बहुत सारे यज्ञ किए। एक बार यज्ञ में बली के लिए लाए गये घोडे को बहुत बैचैन और डरा हुआ देख उन्हें विचार आया कि ऐसी समृद्धि का क्या फायदा जो मूक पशुओं के खून से सराबोर हो। उसी समय उन्होंने पशु बली पर रोक लगा दी। इसीलिए आज भी अग्रवंश समाज हिंसा से दूर रहता है। कहा जाता है कि महाराज अग्रसेन ने 108 वर्षों तक राज किया। महाराज अग्रसेन ने एक ओर हिन्दू धर्म ग्रंथों में वैश्य वर्ण के लिए निर्देशित कर्म क्षेत्र को स्वीकार किया और नए आदर्श स्थापित किए।

पाठकों की बात

पत्र, प्रतिक्रियाएं, सोशल मीडिया

है ईमान मुश्किल

है ईमान मुश्किल बचाना यहाँ पर सरल सीधी राहें दिखाना यहाँ पर नयन में तो झाँके बहुत लोग आकर कठिन छुप के काजल चुराना यहाँ पर हवा से तो होगा उन्हें डर हमेशा जो सीखे न दीपक जलाना यहाँ पर खुशी जिनसे मिलती हो हरदम ही तुमको नहीं ठीक उनको रुलाना यहाँ पर ज़रा खुद भी सुधरें, जो जग को सुधारें है 'भवि' को तो इतना बताना यहाँ पर। – शुचि 'भवि'

कभी-कभी लगता है

कभी-कभी लगता है बहुत अकेली हूं सब तो मेरे अपने हैं आसपास रिश्ते अनुसार मान सम्मान भी फिर ये मन का खालीपन कहाँ गयी खुशियां वो सावन का पानी,चहचहाहट, गुदगुदाहट रो के मुस्कुरा उठने वाला दिल कोई लौटा दे मेरे बीते दिन।

– सुनीता पुष्पराज पाण्डेय

ख़ास पाती | हालात जिंदगी के ....बिगड़ते

हालात जिंदगी के ....बिगड़ते चले गये साये भी खुद के खुद से बिछड़ते चले गये मेरे घोंसले को बाज़ की खूनी नज़र लगी तिनके औ पर हवा में बिखरते चले गये सुनकर के दर्द होता गर्म गोश्त के किस्से आवारगी के शहर में सब सजते चले गये शाखे दरख़्त पर था परिंदों को जो गुमान आई हवा तो जड़ से उखड़ते चले गये मंज़ूर था ना इश्क़ की सरहद को लाँघना मेरे सराये दिल में सभी ठहरते चले गये थी पाक मुहब्बत निभाती परदेदारियाँ ताज़िंदगी हम इश्क़ में लड़ते चले गये सुलझेंगे पेंचे जुल्फ सुब्ह का इंतज़ार कर सुलझन के रेशे रेशे .... उलझते चले गये ना सोचकर लिखा कभीं हमने मिजाज़ में इल्जाम हम पर लोग क्यों धरते चले गये। – नरेन्द्र पाण्डेय

हर सहर घर से भगाता ये

हर सहर घर से भगाता ये किराये का मकां रात की नींदें उड़ाता ये किराये का मकां बोझ इतना सा फ़क़त की सैलरी हो हांथ में फिर भी पैदल ही चलाता ये किराये का मकां मोल की रोटी, पढ़ाई और अम्मा की दवा बाप का बीपी बढ़ाता ये किराये का मकां पैंट सब उजड़ा हुआ है शर्ट की कॉलर फ्टी बूट के पैसे भी खाता ये किराये का मकां नौकरी छोटी बहुत है, फ़र्ज़ है काफ़ी बड़ा उम्र भर बस आज़माता ये किराये का मकां। – जतिन फैज़ाबादी

बुराई करना रोमिंग की तरह है करो

बुराई करना रोमिंग की तरह है करो तो भी चार्ज लगता है और सुनो तो भी चार्ज लगता है और नेकी करना जीवन बीमा की तरह है। जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी तो धर्म की प्रीमियम भरते रहिये और अच्छे कर्म का बोनस पाते रहिये। – पीएल श्रीवास्तव

पिता पेड़ की वह फुनगी हैं जिसको

पिता पेड़ की वह फुनगी हैं जिसको हमने छू न पाया ।। झुक आते हैं सूरज-चन्दा नम नदिया के शीतल जल पर लेकिन पिता नहीं झुक पाते ममता के गीले इस्थल पर आकाशी गंगा के वासी पता नहीं उनका मिल पाया ।। चट्टानें भी ढह जातीं जब उग आती है उन पर धनिया उनका मन हीरे का टुकड़ा बुद्धि बनी है चालू बनिया रही पूजती खामोशी को फिर भी दर्शन हो न पाया ।। मेरे भीतर हैं वे हर पल फिर भी उनको ढूंढ न पाई कौन घड़ी में विधना तूने ऐसी अनगढ़ भीत उठाई अभिभूत है जीवन मेरा उसने पाया,उनका साया।

-कल्पना मनोरमा

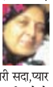

चलो इक सफर पे चलें जिंदगी

चलो इक सफर पे चलें ,जिंदगी की रवानी बने । तुम मेरे मै तुम्हारी सदा,प्यार की इक कहानी बने।झूमती इस डगर की कोई, याद बस इक सुहानी बने।ये समा जो बंधा प्यार का,उस बसर की जुबानी बने। – सुलोचना खुराना

बंद कमरों की सदा है अपनों

बंद कमरों की सदा है, अपनों से ही ये मिला है। उनकी इस चारागरी से, मर्ज़ बढते जा रहा है। दर्द से यारी हुई है । आंसुओं का आसरा है। इश्क दीयों का मुहाफ़िज़, हुस्न इक जंगली हवा है। क़त्ल मेरा कर रही वो दिल, जिसे कहता खुदा है। – डॉ संजय दानी

काश वो साथ ना छूटता, ना यादें

काश वो साथ ना छूटता, ना यादें होती, ना इन्तजार रहता ना देखती भीड़ को यूँ दूर से जाते हुए, मुद्दतों बाद भी तुम हमारे होते, रहते हमेशा साथ तो हर रिश्तें प्यारे होते । पर एक इस नसीब से हर कोई हारा है, कहते किसे अपना, जब दिल ही नही हमारा है!

– मोहिनी गुप्ता

QUIZ TIME

1) टप्पा क्षेत्र से पाया जाता है-

2) यह योजना वर्ष 2005 में प्रारम्भ की गई थी। इस योजना में प्राकृतिक जल संसाधनों के उपयोग, कृषि उत्पादकता में वृद्धि के लिए छोटे सीमान्त कृषकों को कूप निर्माण एवं पम्पों पर अनुदान दिया जाता ह। योजना का नाम बताइए?

3) कौन-सा स्थान सर्वाधिक टमाटर उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। बड़े पैमाने पर टमाटर के उत्पादन के कारण इसे छत्तीसगढ़ की टमाटर राजधानी भी कहा जाता है।

4) छत्तीसगढ़ में शीतकाल में चलने वाली शीत लहर को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है?

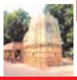

5) भोरमदेव मंदिर के पास एक और महत्वपूर्ण एतिहासिक स्मारक का नाम बताइए?

Ramaquiz

उत्तरमाला- (1) सोना (2) शाकम्बरी योजना (3) लुडेग, जशपुर जिला (4) सुर्रा (5) मड़वा महल

आज का इतिहास

नई दिल्ली (वार्ता)। 1905 - लार्ड कर्जन ने बंगाल का पहला विभाजन किया। 1939 - द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने ब्रिटिश क्षेत्र पर पहला हमला किया। 1944 - प्रसिद्ध तबला वादक लच्छू महाराज का जन्म। 1948- बॉलीवुड अभिनेत्री हेमा मालिनी का जन्म। 1948- ओडिशा के मुख्यंत्री नवीन पटनायक का जन्म। 1951 - पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान की रावलपिंडी में गोली मारकर हत्या। 1959 - राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद की स्थापना। 1964 - चीन ने अपना पहला परमाणु विस्फोट किया। 1968 - हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1984 - दक्षिण अफ्रीका के सामाजिक कार्यकर्ता डेसमंड टुटु को शांति के लिये नोबेल पुरस्कार दिया गया। 1994 - स्वतंत्रता सेनानी गणेश घोष का निधन। 1999 - अमेरिका ने सैन्य शासन के विरोध में पाकिस्तान पर प्रतिबन्ध लगाया। 2002 - 14वें एशियाई खेलों में एक स्वर्ण और एक कांस्य पदक विजेता डोपिंट टेस्ट में असफल रहने के बाद भारत की सुनीता रानी का पदक छीना गया। 2003 - मलयाली फिल्मकार अडूर गोपाकृष्णन को फ्रांस के दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'कमांडर आफ़ द आर्डर आफ़ आर्ट्स एंड लैटर्स' से सम्मानित किया गया। 2004 अमेरिका ने इराकी अबू मुसार जल जरकावी के संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित किया। 2011- भारतीय मूल के धावक 100 वर्षीय फ़ौजा सिंह ने सबसे अधिक उम्र में टोरंटो वाटरफ्रंट मैराथन पूरा किया।

भोरमदेव आजीविका परिसर से ग्रामीण महिलाओं को मिलेगा आर्थिक स्वालंबन

कवर्धा-(नवप्रदेश)। कवर्धा शहर से 12 किमी की दूरी पर विकासखण्ड बोड़ला के ग्राम पंचायत राजानवागांव में बनाये गये भोरमदेव आजीविका परिसर (मल्टी यूटीलिटी सेन्टर) का लोकार्पण छत्तीसगढ़ शासन के वन, परिवहन, आवास, पर्यावरण एवं विधि-विधायी कार्य विभाग एवं विधायक कवर्धा मोहम्मद अकबर के द्वारा किया गया। मंत्री द्वारा लोकार्पण किये गए भोरमदेव आजीविका परिसर को जिला प्रशासन कबीरधाम द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के विकास हेतु नयी कल्पना के साथ तैयार किया गया है, जिसमें सब्जी-भाजी उत्पादन के साथ दोना पत्तल निर्माण, प्रिंटिंग प्रेस, क्लीनिंग हर्बल निर्माण, मसाला उघोग, आचार पापड़ निर्माण, पेपर बैग के साथ मछली पालन सहित अनेक आर्थिक गतिविधियां ग्रामीण महिलाओं के द्वारा समूह के माध्यम से संचालित किया जायेगा। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 'बिहान' के तहत भोरमदेव आजीविका परिसर सें ग्रामीण महिलाओं को बड़ी मात्रा में नियमित रोजगार एवं आजीविका का साधन प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा, जिला पंचायत सीईओ श्री विजय दयाराम के वनमंडलाधिकारी दिलराज प्रभाकर, नगर पालिका अध्यक्ष ऋषि शर्मा, नीलकंठ चन्द्रवंशी, कन्हैया अग्रवाल, कलीम खान, नपा उपाध्यक्ष जमील खान, प्रभाती मरकाम, बैगा समाज के जिलाध्यक्ष कामू बैगा, भिखन कोसेल, पार्षद सुनिल साहू, अशोक सिंह, जाकिर चैहान, राजू तिवारी, परदेशी पटेल, उपस्थित थे। कलेक्टर कबीरधाम रमेश कुमार शर्मा ने बताया की मल्टी यूटीलिटी सेन्टर, आजीविका केन्द्र के रूप में अपनी पहचान बना चुका है। वैश्विक महामारी कोरोना के लॉकडाउन के दौरान भी इस मल्टी यूटीलिटी सेन्टर से महिलाएं सब्जी उत्पादन के गतिविधियों में लगी रही तथा इनके द्वारा सब्जी का विक्रय कर आजीविका कमाया गया। कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा ने आगे बताया कि समूह कि महिलाओं को बहुत से गतिविधियां संचालित करने हेतु प्रशिक्षित किया गया है, जिससे कि उनको गुणवत्ता यूक्त सामग्री बनाने में मदद मिलेगी साथ ही भोरमदेव आजीविका परिसर इनके लिए मील का पत्थर साबित होगा। आजीविका केन्द्र में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करायी गई है, जिसमें चैकीदार के रहने हेतु कमरा, महिला एवं पुरूष के लिए पृथक-पृथक शौचालय, महिला समूह द्वारा ईंट निर्माण किये जाने शेड कि व्यवस्था भी है। पानी के लिए पम्प युक्त बोर आदि उपलब्ध है आजीविका केन्द्र को महिला समूह संचालित करेगी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कबीरधाम श्री विजय दयाराम के. ने बताया कि भोरमदेव आजीविका परिसर का निर्माण 10 एकड़ कि भूमि पर किया गया है। मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना के माध्यम से बनाये गये इस परिसर में बहुत से आर्थिक गतिविधियां ग्रामीण महिलाओं के द्वारा संचालित है। ढ़ाई एकड़ के क्षेत्र में बने मल्टी यूटीलिटी सेन्टर में सात महिला स्वसहायता समूह एवं एक ग्राम संगठन समूह संचालित है। इन समूह के द्वारा लगभग 240 से अधिक ग्रामीण महिलाएं सीधे तौर पर लाभान्वित हो रही है। आजीविका केन्द्र के बारे जानकारी देते हुए विजय दयाराम के. ने बताया कि जय सतनाम महिला समूह द्वारा बिहान साबुन एवं बिहान क्लीन के नाम से नहाने एवं कपड़े धोने का साबुन एवं डिर्टजेंट तैयार किया जा रहा है।

ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने भोरमदेव आजीविका केन्द्र बना मील का पत्थर

कवर्धा-(नवप्रदेश)। 10 एकड़ क्षेत्र में बने भोरमदेव आजीविका परिसर के अंदर एवं बाहर बहुत सी गतिविधियां महिलाओं के द्वारा संचालित होते देखी जा सकती है। ढ़ाई एकड़ में बने मल्टीयूटीलिटी सेन्टर में आठ महिला स्व सहायता समूह द्वारा विभिन्न कार्य किया जा रहा है। आठ समूह के माध्यम से लगभग 240 से अधिक महिलाएं सीधे तौर पर विभिन्न सामग्री उत्पादन के कार्य में लग कर आजीविका संर्वधन की गतिविधियों से जुड़ी है। इसी तरह आजीविका केन्द्र के बाहर 7.50 एकड़ की भूमि में पांच समूह सब्जी उत्पादन एवं एक समहू मछली पालन के कार्य में सम्मीलित है। सब्जी उत्पादन के कार्य में पांच समूह में कुल 60 से अधिक महिलाएं जुड़ी हुई है। उल्लेखनीय है कि सब्जी उत्पादन से लगी समूह द्वारा गत् छः माह में लगभग 1 लाख 20 हजार रूपये से अधिक की आमदनी अर्जित की गई है, जिसमें मां दुर्गा महिला समूह द्वारा 12 हजार रूपये, राधा रानी महिला समूह द्वारा 18 हजार रूपये, भारत माता महिला स्व समूह द्वारा 40 हजार रूपये, सांई राम महिला समूह द्वारा 20 हजार रूपये एवं कुमकुम भाग्य महिला समूह द्वारा 30 हजार रूपये कि सब्जीयां बेचकर आमदनी कमाई गई है। समूह द्वारा मुख्य रूप से बरबटटी, करेला, भिन्डी, गवार फल्ली, खीरा, लौकी, तराई आदी कि सब्जीयां बेची गई। वैश्विक महामारी कोरोना लॉकडाउन के दौरान आजीविका केन्द्र महिलाओं के लिए बहुत मददगार सिद्ध हुआ, जिसमें सब्जी उत्पादन का कार्य निरंतर चलता रहा है।

राष्ट्रपति, संघ प्रमुख व प्रधानमंत्री पर अभद्र टिप्पणी, दाढ़ी थाना में रिपोर्ट

नवागढ़। जन सेवा समिति छुईखदान व्हाट्सएप्प ग्रुप के माध्यम से मनोज चौबे के द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख, राष्ट्रपति, पूर्व मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय गृह मंत्री के संबंध में जानबूझकर अपमानजनक टिप्पणी किये जाने की शिकायत को लेकर कड़ी कार्यवाही के लिए दाढ़ी के सस्वयंसेवको ने थाना प्रभारी दाढ़ी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि इन सभी शीर्ष पदों पर मनोज चौबे के द्वारा अभद्र टिप्पणी की गई है। जिससे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों को गहरा आघात पहुंचा है तथा राष्ट्रपति के प्रोटोकाल के विपरीत है। यह कार्य अपराधिक एवं दंडात्मक है, न्यायपालिका पर गहरा आघात पहुंचाने वाला है। उन्होंने मांग किया कि मनोज चौबे के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर भारतीय दंड संहिता एवं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम धारा 66 क,ख, ग के तहत कार्यवाही किया जाए। इस दौरान भाजपा प्रदेश मंत्री अनुसूचित जाति मोर्चा दयावंत धर बांधे, भाजयुमो जिला मंत्री बबलू राजपूत, कृपा शंकर त्रिपाठी, युपेशसाहु, दीपककुंभकार, अभिषेक राजपूत, रोहित साहु, रामकुमार देशलहरे, प्रतीत गुप्ता, मुचकुंदराजपूत जनपद सदस्य नवागढ़, दिलीप नवरंग, लाला कुंभकार आदि उपस्थित थे।

रमन सिंह के जन्मदिन पर भाजपा ने किया फल वितरण

नवागढ़। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह के जन्मदिन पर भाजपा नवागढ़ मण्डल के कार्यकर्ताओं ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नवागढ़ में फल वितरण किया। मण्डल अध्यक्ष चन्द्रपाल साहू ने कहा कि डॉ रमन ने अपने कार्यकाल में प्रदेश के मुखिया होते हुए जनता के विश्वास से जन-जन की खुशहाली लेकर किसानो के चेहरे पर मुस्कान लाये है। छत्तीसगढ़ का सर्वांगीर्ण विकास करने के साथ ही कई क्षेत्रों में गौरवान्वित भी किया है, डॉ. सिंह की कार्यकुशलता और सरल-सहज व्यक्तित्व के कारण ही जनता ने तीन बार भाजपा से लगातार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे है। इस दौरान महामंत्री मिन्टू बिसेन, महामन्त्री सुरेश साहू, पुर्व नप अध्यक्ष गिरेन्द्र महिलांग राजेंद्र मिश्रा,जिला उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा रुम्पल टुटेजा,पार्षद टीकम पूरी गोस्वामी,पार्षद राधा गोलू सिन्हा,पार्षद रमेश निषाद, प्रवीण दत्त दुबे, सन्तोष देवांगन,कृष्णा ध्रुव,शिव सोनकर,मनीष श्रीवास,ईश्वर कुंभकार,भुखन पूरी गोस्वामी, तिहारी देवांगन, बिहारी श्रीवास्तव, राजकुमार यादव,अरुण देवांगन, सुभाष महिलांग,अवतार यादव, दुर्गेश शर्मा, मुकेश तम्बोली सहित भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

प्रथम पृष्ठ का शेष...

मरवाही विस में...

मरवाही के विकास को देखकर इन नेताओं का भारतीय जनता पार्टी के मोहभंग हुआ और अर्चना पोर्ते पुराने कांग्रेसी परिवार की हैं पुनः कांग्रेस में वापस आ गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कुशल नेतृत्व में इन्होंने आज कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। अर्चना पोते ने अपने घर वापसी करते हुए खुशी जाहिर की। इस अवसर पर पंकज तिवारी आंसर जुंजाणी प्रवक्ता अभय नारायण राय प्रदेश सचिव महेश दुबे तैयब हुसैन आदि उपस्थित थे जिला कांग्रेस कमेटी जी पीएम ने इन सभी का स्वागत किया है।

वोटर खामोश, सब देख...

लिए मरवाही और उसके मतदाता रहस्यमय खामोशी धारण कर लिए हैं। वहीं जीत के लिए जो हर संभव तैयारियां होती हैं उससे कहीं ज्यादा सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस ने मरवाही में झोंक दी है। फिर भी कांग्रेस से दावेदारी की आस में रहे मरवाही के लोकल लीडरों टिकट नहीं मिलने का दर्द गाहे-बगाहे छलक रहा है। ऐसे में पार्टी भी चिंतित है कि कहीं प्रत्याशी थोपना और दावेदारों का दर्द उन्हें नुक्सान न पहुंचाए। कुछ इसी तरह का खौफ भाजपा को भी है, क्योंकि पार्टी के पास भी कई मरवाही के लोकल व पूर्व दावेदारों के होते हुए डॉ.गंभीर को टिकट दिया गया है। पद, पॉवर, पैसा और सेंटिमेंट्स के अलावा प्रेशर को मरवाही महसूस कर बड़ी खामोशी से सब कुछ देख, सुन और समझ रहा है। लेकिन मजाल है कि भाजपा, कांग्रेस और छजकां के सियासतदां दावे के साथ कह दें कि मरवाही की जनता और मतदाता ने उन्हें जीत का जरा सा भी कोई संकेत अब तक दिए हैं क्या..?

मरवाही एक नजर

0 अब तक 14 लोगों ने नाम निर्देशन पत्र लिया है, 0 इंडियन नेशनल कांग्रेस, गोंडवाना गंडतंत्र भी लड़ रही 0 मरवाही में कुल 1 लाख 90 हजार 907 मतदाता हैं 0 महिला मतदाता संख्या पुरुष मतदाताओं से ज्यादा है 0 महिला मतदाताओं की कुल संख्या 97,209 है 0 पुरुष मतदाताओं की कुल संख्या 93,694 है 0 वर्ष 2018 की तुलना में इस बार 6886 वोटरों की वृद्धि

प्रचार, संख्या, बल बहुत पर...

बौखलाए नेता प्रचार के दौरान अपना दर्द पहले बयां कर रहे हैं फिर बाद में प्रत्याशी नहीं पर पार्टी के लिए जरुर वोट मांग रहे हैं। महिला वोटर ज्यादा हैं और शराबबंदी का वादा पूरा नहीं कर पाना भी नुक्सान पहुंचा सकता है।

भाजपा 30 स्टार...

गोमती साय, विधायक ननकीराम कंवर, पुन्नूलाल मोहले, बृजमोहन अग्रवाल, अमर अग्रवाल, अजय चन्द्राकर, नारायण चंदेल, शिवरतन शर्मा, केदार कश्यप, रामसेवक पैकरा, सुश्री लता उसेंडी, गणेश राम भगत, भूपेन्द्र सवन्नी, डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी, सौरभ सिंह, प्रबल प्रताप सिंह जूदेव एवं विकास मरकाम को स्टार प्रचारक नियुक्त किया है।

कार्यालय संपदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, संपदा प्रबंधन
प्रक्षेत्र-4, सेजबहार, रायपुर (छ.ग.)
email ID: eocghbzone5@gmail.com

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा कालोनी खिलौरा, रायपुर में निर्मित दीनदयाल आवास योजनांतर्गत भवन क्र. एलआईजी-251, श्रीमती ममता नागेश्वर पति श्री शशिकांत नागेश्वर के नाम पर इस कार्यालय के नामांतरण आदेश क्र. 165 दिनांक 02.04.2017 को हस्तांतरण विलेख (फ्री होल्ड) निष्पादित करा लिया गया है। द्वितीय आबंदी श्रीमती ममता नागेश्वर पति श्री शशिकांत नागेश्वर पता- श्रीराम चौक, यादव मोहल्ला, रायपुर (छ.ग.) द्वारा हस्तांतरण विलेख निष्पादन उपरांत उक्त भवन को क्रेता श्री जयदीप खाखरिया पिता स्व. श्री प्रेमजी भाई खाखरिया, पता- 40/144, जलाराम लॉज, एम.जी. लॉज के सामने पुराना बस स्टैण्ड, रायपुर (छ.ग.) के पक्ष में दिनांक 30.09.3019 को विक्रय कर दिया गया है। वर्तमान में क्रेता श्री जयदीप खाखरिया पिता स्व. श्री प्रेमजी भाई खाखरिया द्वारा उक्त भवन को फ्री होल्ड पश्चात अपने नाम पर हस्तांतरण किए जाने हेतु इस कार्यालय में अपना आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतः किसी भी व्यक्ति, शासकीय/ अर्धशासकीय संस्था, निकाय, बैंक अथवा वित्तीय संस्था इत्यादि को उक्त भूखण्ड/भवन के फ्री होल्ड पश्चात नामांतरण किए जाने में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो इस कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर लिखित रूप से प्रमाणित दस्तावेज सहित इस आम सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के अंदर आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा नियत समयावधि पश्चात आपत्ति मान्य नहीं की जावेगी।

सम्पदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल,
प्रक्षेत्र-04, सेजबहार, रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय संपदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, संपदा प्रबंधन
प्रक्षेत्र-4, सेजबहार, रायपुर (छ.ग.)
email ID: eocghbzone5@gmail.com

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा कालोनी खिलौरा, रायपुर में निर्मित दीनदयाल आवास योजनांतर्गत भवन क्र. एलआईजी-48, श्रीमती योगिता सिंह पति श्री राजेश सिंह राठौर, के नाम पर इस कार्यालय के नामांतरण आदेश क्र. 127 दिनांक 07.06.2018 के माध्यम से नामांतिरत है। वर्तमान में द्वितीय आबंटी श्रीमती योगिता सिंह राठौर पति श्री राजेश सिंह राठौर, निवासी- स्ट्रीट नं. 01, रिंग रोड नं. 01, काली मंदिर के पीछे, प्रोफेसर कालोनी रायपुर (छ.ग.) के द्वारा उक्त भवन को क्रेता श्रीमती मंजू गुप्ता पति श्री राजेश कुमार गुप्ता पता- एलआईजी-1244, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, सेजबहार रायपुर (छ.ग.) के नाम पर विक्रय हेतु आवेदन पत्र, विक्रय इकरारनामा एवं आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर उक्त भवन क्रेता श्रीमती मंजू गुप्ता पति श्री राजेश कुमार गुप्ता के नाम पर विक्रय हेतु अनुमति प्रदान किया जाना है।

अतः किसी भी व्यक्ति, शासकीय/ अर्धशासकीय संस्था, निकाय, बैंक अथवा वित्तीय संस्था इत्यादि को उक्त भूखण्ड/भवन के विक्रय करने हेतु अनुमति प्रदान करने में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो इस कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर लिखित रूप से प्रमाणित दस्तावेज सहित इस आम सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के अंदर आपत्ति प्रस्तुत करें। अन्यथा नियत समयावधि पश्चात आपत्ति मान्य नहीं की जावेगी।

सम्पदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल,
प्रक्षेत्र-04, सेजबहार, रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, नगर पालिक निगम (जोन-4), रायपुर (छ.ग.)
प्रेस क्लब के बाजू, पानी टंकी मोतीबाग चौक

//ईश्तहार/आधिपत्य हस्तांतरण की सूचना //

नामांतरण प्र.क्र.-148/2020-21
वार्ड का नाम- पं. भगवतीचरण शुक्ल-57

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि पं. भगवतीचरण शुक्ल-57 वार्ड स्थित मकान/ भूमि/ 57/104 फ्लैट नं. 104 ढेबर आर्केड जो कि निगम अभिलेख में श्रीमती आरती चौरसिया पति श्री ललित कुमार चौरसिया के नाम से दर्ज है, जिसको श्रीमती नवरत्ना बैद पति विमलचंद बैद ने शपथ पत्र/ रजिस्ट्री के अनुसार/ वंशानुक्रम/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त कर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि कोई व्यक्ति/ संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, तो इस प्रकाशन के 30 दिन के भीतर दस्तावेजों के साथ प्रकरण क्रमांक सहित लिखित में अपना दावा/आपत्ति प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त दावा/ आपत्ति पर किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जावेगी, जिसके लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

सूचना जाने।
जोन कमिश्नर
जोन क्र.-04
नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, नगर पालिक निगम (जोन-4), रायपुर (छ.ग.)
प्रेस क्लब के बाजू, पानी टंकी मोतीबाग चौक

//ईश्तहार/आधिपत्य हस्तांतरण की सूचना //

नामांतरण प्र.क्र.-151/2020-21
वार्ड का नाम- पं. भगवतीचरण शुक्ल-57

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि पं. भगवतीचरण शुक्ल-57 वार्ड स्थित मकान/ भूमि/ 57/एलआईजी-21/344 कटोरा तालाब जो कि निगम अभिलेख में श्रीमती गायत्री देवी पति आर.के. चन्द्राकर के नाम से दर्ज है, जिसको 1. राजेन्द्र कुमार मटलानी 2. हरीश मटलानी 3. श्री सेवक मटलानी तीनों पिता स्व. दीपचंद मटलानी 4. श्रीमती सुमन पति राजेन्द्र कुमार 5. ज्योति मटलानी पति हरीश ने शपथ पत्र/ रजिस्ट्री के अनुसार/ वंशानुक्रम/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त कर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि कोई व्यक्ति/ संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, तो इस प्रकाशन के 30 दिन के भीतर दस्तावेजों के साथ प्रकरण क्रमांक सहित लिखित में अपना दावा/आपत्ति प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त दावा/ आपत्ति पर किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जावेगी, जिसके लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

सूचना जाने।
जोन कमिश्नर
जोन क्र.-04
नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)

छ.ग. गृह निर्माण मण्डल, वृत्त-दुर्ग

निविदा आमंत्रण विज्ञापन क्र. 83

छ.ग. गृह निर्माण मण्डल वृत्त-दुर्ग अंतर्गत अटल विहार योजना पण्डरीपानी, जगदलपुर, जिला-बस्तर में भूमिगत केबल पद्धति से बाह्य विद्युतीकरण कार्य (फेस-01) हेतु राशि रु. 495.75 लाख की ऑनलाईन निविदा एकीकृत पंजीयन प्रणाली में पंजीकृत सक्षम श्रेणी के ठेकेदारों से दिनांक 05.11.2020 तक आमंत्रित की जाती है। नियम, शर्तें एवं विस्तृत विवरण वेबसाईट http://eproc.cgstate.gov.in तथा मण्डल वेबसाईट www.cghb.gov.in में उपलब्ध है, अन्य जानकारी हेतु कार्यपालन अभियंता (वि.) विद्युत संभाग क्रं.-02, मो. नं. 94255-52266 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

सं.-26706/2 **उपायुक्त**

छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग

सामान्य वनमण्डल रायगढ़ छ.ग.

नीलाम विज्ञापन

सर्व सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि रायगढ़ वनमण्डल रायगढ़ के अधीनस्थ काष्ठागार उर्दना रायगढ़ में उपलब्ध ईमारती लकड़ी (काष्ठ, जलाऊ) का दर्शित तिथि व समय में अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा नीलाम किया जावेगा।

नीलाम स्थान - काष्ठागार (उर्दना) रायगढ़
(1) नीलाम दिनांक - 21.10.2020
(2) नीलाम समय - प्रातः 9.00 बजे से प्रारंभ

अ.क्र.	प्रजाति	नया वनोपज			पुराना वनोपज			योग वनोपज		
		लट्ठा घ.मी.	बल्ली नग	डेंगरी नग	लट्ठा घ.मी.	बल्ली नग	डेंगरी नग	लट्ठा घ.मी.	बल्ली नग	डेंगरी नग
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
1	सागौन	7.508	35	7	5.724	0	0	13.232	35	7
2	साल	48.274	38	30	77.418	130	43	125.692	168	73
3	बीजा	2.230	0	0	4.548	0	0	6.778	0	0
4	खम्हार	0.040	0	0	0.000	0	0	0.040	0	0
5	साजा	0.000	32	11	55.602	361	29	55.602	393	40
6	हल्दू	0.000	0	0	1.011	0	0	1.011	0	0
7	कसई	0.000	0	0	0.000	0	0	0.000	0	0
8	धावड़ा	0.000	20	8	4.541	0	0	4.511	20	8
9	सलिहा	0.000	0	0	0.000	0	0	0.000	0	0
10	अन्य	1.734	206	37	174.146	170	120	175.880	376	157
11	आर.टी.एल. (R.T.L.)	5.488	0	0	0.000	0	0	5.488	0	0
	योग :-	**65.274**	**331**	**93**	**322.990**	**661**	**192**	**388.264**	**992**	**285**
12	सतकठा जलाऊ	200	चट्टा	चट्टा	0	चट्टा	चट्टा	200	चट्टा	
13	औद्योगिक बांस	0	नो.टन	नो.टन	0	नो.टन	नो.टन	0	नो.टन	
14	व्यापारिक बांस साईज	0	नग	नग	0	नग	नग	0	नग	
15	निस्तार डिपो बरमकेला में भंडारित जलाऊ काष्ठ	0	चट्टा	चट्टा	45	चट्टा	चट्टा	45	चट्टा	

अतः इच्छुक व्यापारियों से अनुरोध है कि वे नीलाम में भाग लेवें। नीलाम की शर्तें व अन्य जानकारी कार्यालयीन दिवस व समय में उर्दना काष्ठागार रायगढ़ से प्राप्त की जा सकती है।

वनमण्डलाधिकारी
रायगढ़ वनमण्डल रायगढ़

जी-84238/4

कार्यालय, नगर पालिक निगम, जोन क्र. 5 रायपुर
ईदगाह भाठा, पानी टंकी, रायपुर (छ.ग.)
ph.No. 0771-40455819 Email rmczone5@gmail.com

ईश्तहार/आधिपत्य हस्तांतरण की सूचना

नामांतरण प्र.क्र.-83 दिनांक 24.8.20
वार्ड का नाम वार्ड- ठाकुर प्यारेलाल-40

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि वार्ड-40 स्थित भवन 711 जो कि निगम अभिलेख में श्री परसराम s/o सुखरू यादव के नाम से दर्ज है जिसको श्री 1. समारूयादव s/o रंगु यादव 2. श्रीमती कुंती यादव w/o मंगलू राम यादव ने रजिस्ट्री/ लिखित द्वारा वंशानुक्रम/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त कर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि कोई व्यक्ति/ संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, तो इस प्रकाशन के 30 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित आपत्ति प्रस्तुत करें। अन्यथा समयावधि पश्चात किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जावेगी।

जोन कमिश्नर
जोन क्रमांक-5
नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, नगर पालिक निगम, जोन क्र. 5 रायपुर
ईदगाह भाठा, पानी टंकी, रायपुर (छ.ग.)
ph.No. 0771-40455819 Email rmczone5@gmail.com

ईश्तहार/आधिपत्य हस्तांतरण की सूचना

नामांतरण प्र.क्र.-84 दिनांक 24.8.20
वार्ड का नाम वार्ड- ठाकुर प्यारेलाल-40

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि वार्ड-40 स्थित भवन 711 ज.न. जो कि निगम अभिलेख में श्री परसराम यादव s/o सुखरू यादव के नाम से दर्ज है जिसको श्री अशोक यादव s/o बिसाहू राम यादव ने रजिस्ट्री/ लिखित द्वारा वंशानुक्रम/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त कर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि कोई व्यक्ति/ संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, तो इस प्रकाशन के 30 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित आपत्ति प्रस्तुत करें। अन्यथा समयावधि पश्चात किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जावेगी।

जोन कमिश्नर
जोन क्रमांक-5
नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग के न्यायालय में मामला क्रमांक 202010100700092
विषय-अ-6अ मामले की श्रेणी-राजस्व सन् 2020-21
कातुलबोड़ प.ह.नं. 00020 (140/74(0.0320हे.)
पक्षकारों का विवरण-
आवेदक पक्षकार - अनिता कन्नौजे
अनावेदक पक्षकार -

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका के द्वारा आवेदित भूमि जो कि आवेदिका के नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज है। उक्त भूमि का पूर्व में खसरा नंबर 140/73 था किंतु वर्तमान राजस्व अभिलेख में उक्त खसरा त्रुटिवश 140/74 दर्ज हो गया है। उक्त त्रुटि के सुधार किए जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार से उजर या दावा हो तो वह आगामी नियत पेशी तिथि 29/10/2020 को स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं, समयावधि पश्चात प्रस्तुत आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से आज दिनांक 12.10.2020 को जारी किया जाता हैं।

सील
Parwati Patel
तहसीलदार
दुर्ग (छ.ग.)

No.V.25011/213/2015-HR (Part-I)
Government of India
Ministry of Health & Family Welfare
Department of Health Research
2nd Floor, Indian Red Cross Society Building
1, Red Cross Road, New Delhi-110001

Subject : Call for research proposals for financial support under "HRD Scheme for Health Research in the emerging fields of Medical/Clinical/ Health Sciences" in year 2020-21.

It has been decided to call online applications for full-length proposals under Human Resource Development Scheme for Health Research in the emerging fields of Medical/ Clinical/Health Sciences for the financial year 2020-21.

More details including eligibility criteria, procedures for application and guidelines of the Scheme are available on www.dhr.gov.in and www.dhrschemes.in.

Last Date for submission of Application: 16.11.2020

Sd/-
(G.A. Reghuvanshi)
Under Secretary to the Government of India
davp 17301/11/0006/2021

कार्यालय, नगर पालिक निगम, जोन क्र. 5 रायपुर
ईदगाह भाठा, पानी टंकी, रायपुर (छ.ग.)
ph.No. 0771-40455819 Email rmczone5@gmail.com

ईश्तहार/आधिपत्य हस्तांतरण की सूचना

नामांतरण प्र.क्र.-120 दिनांक 13.10.20
वार्ड का नाम वार्ड- मं. लक्ष्मीनारायण दास-43

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि वार्ड-43 स्थित भूमि सी1/364 जो कि निगम अभिलेख में श्री प्रेमलाल s/o हरिराम पंसारी के नाम से दर्ज है जिसको श्री 1. अशोक पंसारी 2. रामेश पंसारी 3. राजेश पंसारी s/o स्व. भीखम पंसारी ने रजिस्ट्री/ लिखित द्वारा वंशानुक्रम/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त कर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि कोई व्यक्ति/ संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, तो इस प्रकाशन के 30 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित आपत्ति प्रस्तुत करें। अन्यथा समयावधि पश्चात किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जावेगी।

जोन कमिश्नर
जोन क्रमांक-5
नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, नगर पालिक निगम, जोन क्र. 5 रायपुर
ईदगाह भाठा, पानी टंकी, रायपुर (छ.ग.)
ph.No. 0771-40455819 Email rmczone5@gmail.com

ईश्तहार/आधिपत्य हस्तांतरण की सूचना

नामांतरण प्र.क्र.-121 दिनांक 13.10.20
वार्ड का नाम वार्ड- पं. सुंदरलाल शर्मा-42

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि वार्ड-42 स्थित भूमि P.R.P. 566b00278 जो कि निगम अभिलेख में श्री कुरीचंद जैन s/o स्व. मेघचंद जैन के नाम से दर्ज है जिसको श्री लक्ष्मी कांत जैन s/o स्व. श्री करीचंद जैन ने रजिस्ट्री/ लिखित द्वारा वंशानुक्रम/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त कर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि कोई व्यक्ति/ संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, तो इस प्रकाशन के 30 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित आपत्ति प्रस्तुत करें। अन्यथा समयावधि पश्चात किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जावेगी।

जोन कमिश्नर
जोन क्रमांक-5
नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)

MUNICIPAL CORPORATION BHILAI
OFFICE OF THE COMMISSIONER MUNICIPAL CORPORATION
e-Procurement tender notice
Main Portal : http://eproc.cgstate.gov.in

NIT NO. 564/Vehicle Dep/BMC/2020/211 — Bhilai, Dated 12/10/2020

Online bids are invited for the following work of works up to 12.10.2020 at 5.30 PM.

SL No.	System Tender No.	Name of work/Description of work	Quantity	Project Name	Tender Amount	Tender Call
1	68393	Supply of 03 (three) nos Sewage Suction Cum Jetting Machine-9000 Ltrs Combined Tank capacity chassis BS-VI with 12 months manufacturing warranty period inclusive of 03 months trial run at Bhilai under AMRUT Mission.	3	AMRUT	135 Lacs	1st Call

The details can be viewed and download online directly from the Government of Chhattisgarh e-Procurement Portal http://eproc.cgstate.gov.in from 02.11.2020 5:30 PM on wards.

For more derails on the tender bidding process you may visit the above- mentioned portal.

NOTE-
1. All eligible/interested contractros are mandated to get enrolled on e-Procurement Portal.
2. Contractors can contact Help Desk for any clarification of their doubts regarding the process of Electronic Procurement System. Help Desk at Toll No. 18004199140 or through Email ID helpdesk@ cgswan.gov.in
3. For More Details please download NIT details.

EXECUTIVE ENGINEER

छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग,
कार्यालय कार्यपालन अभियंता,
महानदी गोदावरी कछार, रायपुर (छ.ग.)
जिला- बिलासपुर (छ.ग.)

ई-प्रोक्यूरमेंट निविदा सूचना
eProcurement Portal :http://eproc.cgstate.gov.in
(प्रथम आमंत्रण)

सिस्टम निविदा क्र. 68231/निविदा सूचना क्रमांक 06/व.ले.लि./20.21 महासमुंद, दिनांक 12.10.2020

निम्नलिखित कार्यों के लिए दिनांक **02.11.2020** को **17:30** बजे तक ऑन लाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती है :-

कार्य का नाम :- महासमुंद जिले के विकासखण्ड महासमुंद की लोहारडीह जलाशय योजना के शीर्ष कार्य का मरम्मत एवं पुर्नस्थापन कार्य, बांयी एवं दांयी तट पर नहर का रिमाडलिंग एवं सी.सी. लाईनिंग कार्य, 03 नग पक्के कार्यों का मरम्मत, 11 नग पक्के कार्यों का निर्माण तथा 32 नग कुलापा लगाने का कार्य।

अनुमानित लागत :- रु. 210.49 लाख।

अन्य वितरण एवं विस्तृत निविदा छत्तीसगढ़ शासन की ई-प्रोक्योरमेंट वेब साइट http://eproc.cgstate.gov.in पर दिनांक **19.10.2020** को समय **17:31** बजे से देखे तथा डाउनलोड किए जा सकते हैं।

नोट : निविदा में भाग लेने हेतु ठेकेदारों को ई-प्रोक्योरमेंट वेबसाईट http://eproc.cgstate.gov.in पर नामांकित/पंजीयन तथा लोक निर्माण विभाग की एकीकृत पंजीयन प्रणाली के अंतर्गत ठेकेदार को उपयुक्त श्रेणी में पंजीयन कराना अनिवार्य है।

जी-84246/8

कार्यपालन अभियंता
जल संसाधन संभाग, महासमुंद
कृते- मुख्य अभियंता, महानदी गोदावरी कछार
जल संसाधन विभाग, रायपुर (छ.ग.)

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक व संपादक यशवंत धोटे* द्वारा बंसल स्कूल कैम्पस, अशोक विहार कॉलोनी, पण्डरी से मुद्रित कर ब्रिस्टल चौक छोटापारा रायपुर से प्रकाशित,
फोन व फैक्स : 0771-4035602, RNI NO.CHHHIN/2012/41806/ डाक पंजीयन क्रमांक सी.जी./आर.वाई.पी. डीएन/40/2019-2021

हत्या की नियत से प्राणघातक हमला करने के मामले में गोगिया के 8 आरोपी गिरफ्तार

भाटापारा । कृषि महाविधालय जमीन की लिज को लेकर ग्राम गोगिया के 8 लोगो को एक युवक पर प्राण घातक हमला करने के मामले में ग्रामीण पुलिस ने सभी आरोपियों को विभिन्न धाराओ में गिरफ्तार कर आगे की कार्यवाही कर रही है।

उपरोक्त सम्बन्ध में मिली जानकारी अनुसार पुलिस अधीक्षक आई के एलेसेला ने हत्या , हत्या के प्रयास जैसे गंभीर मामलों में शीघ्र कार्यावाही के निर्देश के बाद निरीक्षक रामअवतार ध्रुव थाना प्रभारी थाना भाटापारा ग्रामीण* के कुशल नेतृत्व अपराध धारा 294, 506बी, 147,148 307 भादवि* के तहत 1.बद्री पिता गंगा प्रसाद महिलांग उम्र 30 साल 2. रमेश पिता शंकर लाल महिलांग उम्र 35 साल 3.रामायण पिता नेगी महिलांग उम्र 40 साल 4. विजय पिता शंकर लाल महिलांग उम्र 37 साल 5.भूपेन्द्र पिता सुबेदास मांडले उम्र 21 साल 6. गुलाब पिता शंकर लाल महिलांग उम्र 19 साल 7. सेऊक पिता प्यारी महिलांग उम्र 58 साल 8. राहस लाल पिता तिरीथ राम महिलांग उम्र 35 साल सभी ग्राम गोगिया थाना भाटापारा ग्रामीण को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय पेश कर जेल भेज दिया गया है।

घटना का कारण बताया जाता हैग्राम गोगिया खार स्थित 183 एकड कृषि भूमि को 06 परिवार में 40 लोग काबिज होकर कृषि कार्य कर रहे थे भूमि स्वामी बनने के लिए माननीय अपर सत्र न्यायालय भाटापारा अपील किए जहा मामला लंबित है इसी दरम्यान उक्त कृषि भूमि जो कृषि कल्याण महाविद्यालय के नाम पर है को महाविद्यालय द्वारा ग्राम गोगिया के ही अन्य कृषिकों को एक लाख ब्यांसठ हजार रूपयें में 11 माह के लिए लीज पर दिया गया जिससे आरोपीगण द्वारा नाराज होकर 12 अक्टूबर को दोपहर सादे 3 बजे के आसपास श्रीकांत गेंदले उम्र 30 साल को 8 लोग मिलकर एक राय होकर *लाठी , डंडा एवं तब्बल* से मारपीट कर जान से मारने की नियत से प्राण घातक चोट पहुंचाया गया जिससे श्रीकांत गेंदले के सिर, कनपटी, हाथ पैर में गंभीर चोट आया है जिसे घायल अवस्था में अस्पताल लाया गया जो *रायपुर में ईलाजरत* है । प्रार्थी कन्हैया दिवाकर की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया आरोपीयों के विरूद्ध अपराध सबूत पाए जाने से घटना में प्रयुक्त लाठी डंडा तब्बल को जप्त किया गया है आरोपीगण को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय पेश कर जेल दाखिल किया गया है।

भाटापारा का विकास शिवरतन के नेतृत्व में होता रहेगा: सुनील सोनी

भाटापारा। क्षेत्रीय सांसद सुनील सोनी ने कहा कि भाटापारा क्षेत्र के विकास में हम यहां के सक्रिय एवं जागरूक विधायक शिवरतन शर्मा के साथ विकास में कोई कमी नहीं आने देंगे विधायक के नेतृत्व यहाँ लगातार विकास के कार्य कराये जाते रहेंगे।ग्रामीण क्षेत्र के लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होने आये सांसद सुनील सोनी विश्राम गृह में पत्रकारो से चर्चा कर रहे थे।इस अवसर पर विधायक शिवरतन शर्मा भी उपस्थित थे। सांसद श्री सोनी ने कहा की यहाँ के विधायक शिवरतन शर्मा की सक्रियता के कारण यहाँ पर विकास की गाथा अविरल चल रही है और उनके नेतृत्व में यहाँ की समस्याओ का ना केवल निदान होगा बल्कि मांग के अनुरूप यहाँ पर विकास के नये नये कार्य होते रहेंगे।उन्होंने

कहा की हालांकि प्रदेश सरकार राह में रोड़े अटका ने से बाज नहीं आ रही है। कल ही हमने तथा विधायक शिवरतन शर्मा ने क्षेत्र की बहुप्रतीक्षित मांग अंडर ब्रिज को रेलवे के डीआरएम से बात करशुरू करवाया तथा अंडर ब्रिज का बकाया काम 2 महीने में ही हमने पूर्ण करने को कहा है ताकि इसका विधिवत उद्घाटन होकर जनता को समर्पित किया जा सके और दूसरे अंडर ब्रिज का काम भी द्रुत गति से चालू है प्रदेश की सरकार पर हमला बोलते हुए सांसद सुनील सोनी ने कहा कि पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल है यहां के अपराधियों को ऐसा लग रहा है जैसेकि प्रदेश में उनकी सरकार आ गई है हत्या और बलात्कार तथा लूटपाट की घटनाएं आम हो गई है 2 दिन पहले ही सरेराह रायपुर के व्यापारी को चाकू मारा गया जिसके दूसरे दिन मौत हो गई सोनी ने आगे कहा कि प्रदेश की सरकार एक तो जनहित में कोई काम नहीं कर रही है वहीं दूसरी ओर केंद्र की योजनाओं को लटकाने में लगी हुई है।

नगर पंचायत दफ्तर पहुंचकर सीएमओ का घेराव

नव प्रदेश संवाददाता

- **खबर प्रकाशित होने के बाद हरकत मे आया कांग्रेसी पार्षद व एल्डरमेन**
- **दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग**
- **गंडई नगर पंचायत मे फर्जी डीजल खरीदी का मामला**

गंडई पंडरिया। नगर पंचायत गंडई मे फर्जी डीजल खरीदी का मामला अब गरम हो गया है साथ ही दोषियो के खिलाफ कड़ी कार्यवाही किए जाने की मांग उठने लगी है। गुरुवार को नवप्रदेश मे खबर प्रकाशित होने के बाद कांग्रेसी पार्षद व एलडरमेंन संहित ब्लाक अध्यक्ष हरकत मे आ गए और सभी कांग्रेसी गुरुवार को ही दोपहर 1 बजे नगर पंचायत कार्यालय मे धावा बोल दिये और मामले को लेकर सीएमओ का घेराव करते हुये पूरे मामले की जांच कर दोषियो के खिलाफ सक्त कार्यवाही करने की मांग करते रहे। कांग्रेसियों की मांग पर सीएमओ ने कहा की मामले की जांच की जा रही है और जांच रिपोर्ट के बाद शीघ्र ही कड़ी कार्यवाही का आश्वासन भी दिया।

उल्लेखनीय है की नगर पंचायत गंडई में पदस्थ भृत्य दयालु साहू व अभियंता रूपेश राठिया के द्वारा इमरजेंसी वाहन की गाड़ी में डीजल को लेकर एक व्हाउचर तैयार किया गया था। जिसमे उस समय के तत्कालीन सीएमओ रहे खुमान सिंह कश्यप के सील और हस्ताक्षर लगा हुआ दस्तावेज था उसी स्लीप पर भंडारण प्रभारी दयालु साहू व अभियंता रूपेश राठिया के सील और हस्ताक्षर भी लगा हुआ था। लेकिन 26 जून को सी एम ओ कश्यप की मृत्यु होने के लगभग दो माह बाद हस्ताक्षर व सील लगना कही ना कही 420सी का मामला प्रकाश में आया है इस संबंध में निकाय के इस मामले में लिप्त कर्मचारियों पर संदेह के आधार पर नवप्रदेश ने पड़ताल किया तो कही न कही सच्चाई सामने आया। इस मामले पर गुरुवार को ही नवप्रदेश मे ÷डीजल के फर्जी बिल मामले मे सीएमओ ने इंजीनियर सहायक को थमाया नोटिस÷ शीर्षक से प्रमुखता से खबर प्रकाशित किया था। खबर पढ़ते ही कांग्रेसी पार्षद व एलडरमेन हरकत मे आ गए और मामले को संज्ञान में लेते हुए गंडई ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष साकेत दुबे लगभग दोपहर 1 बजे सीएमओ के दफ्तर पहुँचकर हल्ला बोला। जहाँ सभी जनप्रतिनिधि ने एक ही स्वर पर तत्काल दोषी कर्मचारियों पर कार्यवाही की बात कही।

सीएमओ की कार्यप्रणाली से नाराज हुये कांग्रेसी

ब्लाक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष साकेत दुबे ने कहा कि अधिकारी ने संज्ञान में लेकर तो संबंधित कर्मचारी को नोटिस तो दे दिया जिस पर उन कर्मचारी द्वारा जवाब भी दिया गया है लेकिन कार्यवाही अब तक नही हुई है। जिसे लेकर कांग्रेसी पार्षद और एल्डरमैन ऑफिस में डटे रहे। वही पार्षद भिगेश यादव ने सी एम ओ पर नाराजगी प्रगट करते हुए कहा कि कर्मचारी अगर दोषी है तो उस पर नियमानुसार जांचकर दोषी कर्मचारी पर कार्यवाही का आधार सी एम ओ को होता है। जो वह सक्षम है। सी एम ओ शुक्ला को कहा कि आप अभी कार्यवाही करे आज नोटिस दिए तीन दिन हो गए है। लेकिन कार्यवाही अब तक शून्य है वही सी एम ओ प्रमोद शुक्ला ने मौके पर आए सभी जनप्रतिनिधियो की बात को रखते हुए इसी हफ्ते दो तीन दिनों में कार्यवाही करने का भरोषा जताया।वैसे ही मौके पर उपस्थित पार्षदों में वार्ड 01 के पार्षद भिगेश यादव ने कहा कि जब तक कार्यवाही नही हो जाता तब तक वह ऑफिस नही आने की बात कहते हुए मौके से उठकर नाराज होकर चले गए। सीएमओ दफ्तर में ब्लॉक अध्यक्ष साकेत दुबे, वरिष्ठ कांग्रेसी व एल्डरमैन महेशदास रात्रे, सूरज नामदेव, क्रांति ताम्रकार, लियाक़त अली खान, नारायण चतुर्वेदी, मोहसीन खान, शुभम बघेल मीडिया प्रभारी अमित टंडन पहुंचे यहे।

डकैती मामले में 2 अपचारी बालक सहित 4 गिरफ्तार

नव प्रदेश संवाददाता

सूरजपुर। बीते 13 अक्टूबर को प्रार्थी एसईसीएल विश्रामपुर सुरक्षा प्रहरी सुरेन्द्र राम पिता स्व. शिवशंकर राम उम्र 41 वर्ष निवासी चोपडा कालोनी विश्रामपुर थाना उपस्थित आकर इस आशय का लिखित आवेदन पत्र पेश किया कि 10 अक्टूबर के रात्रि अन्य गार्डो के साथ ओसीएम खदान क्वारी नंबर 10 की सुरक्षा में लगी थी, रात्रि करीब 1 से 2.30 बजे के मध्य ओसीएम क्वारी नम्बर 10 के अगल-बगल स्थित एसईसीएल की नर्सरी से 10 से 15 अज्ञात व्यक्ति अपना मुंह बांध कर हाथ में डंडा, टांगी व हेक्सा ब्लेड रखे खदान में आये प्रार्थी एवं उसके अन्य साथी गार्ड तथा ओसीएम में तैनात अधिकारी व कर्मचारियों कुल 08 लोग को एक जगह इकट्ठा कर गोल घेरा में बैठा दिये उसमे से 05-06 लोग अपने हाथ में टांगी, डंडा रखे थे जिसके भय से वहां पर तैनात सभी अधिकारी/कर्मचारी भयभीत हो गये तथा सभी को बंधक बना लिये सभी के पाकिट की तलाशी लेकर मोबाईल फोन व पैकेट में रखा पैसा व गाडी की चाभी लूट कर अपने पास रख लिये, इसके पाकिट में 7 सौ रूपये था उसे भी लूट लिये, इसे तथा वहां उपस्थित गार्ड तथा कर्मचारी व अधिकारियो को गाली-गलौज करते हुये जान से मारने की धमकी दिये उनमें से 4-5 व्यक्ति ड्रग लाईन शक्ति मशीन के पास गये वहीं लगे ट्रांसफार्मर से बिजली का तार को टांगी से काट दिये और काटकर अपने पास रखे हेक्सा ब्लेड से केबल वायर के दोनों छोर का करीब 35 मीटर कापर केबल वायर कीमती 56 हजार रूपये को काट कर ले गये, अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा घटना करने के बाद केबल वायर को उठाकर वहां से चले गये, लूटा हुआ मोबाईल फोन व गाड़ियों की चाबी वहीं पर फेक दिये थे, उनके जाने के बाद ये सभी अपना-अपना मोबाईल व चाभी पहचान कर अपने-अपने पास रख लिये, अज्ञात व्यक्ति आपस में सरगुजिहा, हिन्दी भाषा में बात कर रहे थे, तथा अपने साथी को गुडमार्निंग नाम से पुकार रहा था रिपोर्ट पर धारा 395, 294, 506, 342 भा.दं.सं. का अपराध पंजीबद्व किया गया। मामले के पूरे हालात से थाना प्रभारी ने *पुलिस अधीक्षक सूरजपुर श्री राजेश कुकरेजा को अवगत कराया जिस पर उन्होंने केबल, कोयला, कबाड़ चोरी एवं पूर्व में इस प्रकार के मामले में शामील व्यक्ति पर कड़ी निगाह रखने के निर्देश दिए।

पुलिस टीम के द्वारा अज्ञात आरोपियों एवं लूटा गया केबल वायर की सरगर्मी से तलाश की जा रही थी कि इसी बीच *पुलिस अधीक्षक श्री कुकरेजा को मुखबीर से जानकारी मिली कि कुम्दा बस्ती में गुडमार्निंग उर्फ संतोष नाम का लड़का रहता है जिसकी पिछले कुछ दिनों से गतिविधियां संदिग्ध है और कई संदिग्ध लोगों के साथ उठना-बैठना है जिस पर उन्होंने थाना प्रभारी विश्रामपुर को उस लड़के से कड़ाई से पूछताछ करने के निर्देश दिए। थाना प्रभारी विश्रामपुर सुभाष कुजूर ने गुडमार्निंग को तलब कर घटना के संबंध में बारीकी से पूछताछ करने पर जुर्म स्वीकार किया।

गंडई में नहीं मनेगा दशहरा उत्सव, रावण दहन भी नहीं

नव प्रदेश संवाददाता

गंडई पंडरिया - कोरोना संक्रमण के चलते इस बार नगर मे दशहरा उत्सव का आयोजन नहीं किया जाएगा। दशहरा उत्सव समिति द्वारा प्रतिवर्ष गंडई नगर के राजा बाड़ा से निकलने वाली सवारी /शोभा यात्रा नहीं निकाली जावेगी। जानकारी के अनुसार नगर के राजा लाल टारकेश्वर शाह खुसरो पंडरिया स्थित अपने महल से निकलकर सर्वप्रथम अपने कुल देवी माँ गंगई मंदिर पहुँचकर आशीर्वाद लेंगे तत्पश्चात रावण वध कार्यक्रम स्थल में पूजा अर्चना करेंगे। जिला दंडाधिकारी के आदेशानुसार पूजा स्थल में अधिकतम 50 व्यक्ति ही उपस्थित रहेंगे। किसी भी प्रकार की वाद्य यंत्र, लाउडस्पीकर, आतिशबाज़ी, सांस्कृतिक कार्यक्रम स्वागत, भंडारा, प्रशाद वितरण व पंडाल लगाने की अनुमति नहीं होगी।

53 पाव अंग्रेजी शराब के साथ एक गिरफ्तार

नव प्रदेश संवाददाता

लवन। पुलिस अधीक्षक आई के एलेसेला के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती निवेदिता पाल एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सुभाष दास के मार्गदर्शन में क्षेत्र में हो रही अवैध शराब बिक्री कि शिकायत पर चौकी प्रभारी उप निरीक्षक यशवंत प्रताप सिंह द्वारा सहायक उप निरीक्षक कमल किशोर देवांगन, आरक्षक तिलक सिदार, गणेशराम पैकरा, प्रकाश भारद्वाज, नन्दु यादव की टीम तैयार कर मुखबीर के सूचना आधार पर मौके पर जाकर घेरा बंदी कर मनोहर साहू पिता भाऊराम साहू उम्र 52 वर्ष ग्राम सिंघारी के कब्जे से 32 पाव कैप्टन क्लब प्रेस्टीज व्हीस्की , एवं 21 पाव गोल्डन गोवा डिल्क्स व्हीस्की कुल 53 पाव अंग्रेजी शराब किमती कुल 9.540 लीटर कुल किमती 6360 रूपया जप्त किया गया। उक्त आरोपी का कृत्य धारा 34 (2) आबकारी एक्ट का पाये जाने से अपराध क्र 0 2020 धारा 34 (2) आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में उप जेल बलौदाबाजार भेजा गया।

शहर विकास के लिए समर्पित है नगर पालिका : ऋषि कुमार शर्मा

- **7 करोड़ 35 लाख रू. लागत से बनने वाले सड़क व पाथवे निर्माण सहित परिषद की बैठक में 13 प्रस्तावों पर लगी मुहर**

नव प्रदेश संवाददाता

कवर्धा। नगर पालिका अध्यक्ष ऋषि कुमार शर्मा की अध्यक्षता में आज नगर विकास सहित अन्य जनहित विषयों को लेकर परिषद की बैठक आयोजित किया गया था। बैठक में 15 प्रस्ताव पर चर्चा हेतु लाया गया था नगर पालिका अध्यक्ष ऋषि कुमार शर्मा ने परिषद बैठक की अध्यक्षता करते हुए बैठक की शुरूवात राष्ट्रगान व राजगीत गायन कर प्रारंभ किया गया। नपाध्यक्ष व सभी पार्षदगणों ने बैठक में नव मनोनित पार्षदगणों का स्वागत अभिनंदन किया।

जल आवर्धन योजना: 6 महिने की समयवृद्धि

नगर पालिका अध्यक्ष ऋषि कुमार शर्मा ने बताया कि कवर्धा शहर के पेयजल व्यवस्था को सुदृढ बनाये जाने हेतु जल आवर्धन योजनांतर्गत नये फिल्टर प्लांट निर्माण किया जा रहा है ताकि भविष्य किसी प्रकार की पानी की समस्या उत्पन्न ना हो। इसको ध्यान में रखते हुए जिन वार्डो में पाईप लाईन नही पहुंच पाया है वहां पाईप लाईन भी बिछाने का कार्य किया जा रहा है उन्होनें बताया कि कोरोना संक्रमण के कारण कार्य विलंब हुआ है कोरोना संक्रमण न फैले इसके लिए बाहर से आये मजदूर भी वापस चले गये थे जिससे कार्य प्रभावित हुआ। कार्य प्रभावित होने के कारण समय-सीमा में कार्य न होने के कारण संबंधित ठेकेदार मेसर्स मल्टी अर्बन इन्फ्रा सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड नागपुर द्वारा अतिरिक्त समय का मांग किया गया था जिस पर विचार करते हुए आज बैठक में 6 महिने का अतिरिक्त समयवृद्धि करते हुए प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

सड़क व पाथवे निर्माण के लिए 7 करोड़ 35 लाख का प्रस्ताव पारित

नगर पालिका अध्यक्ष ऋषि कुमार शर्मा ने बताया कि राजनांदगांव रोड़ से पिलारी नहर, शांतिदीप राईस मिल होते हुए नवीन बाजार तक निर्मित वर्षो पुराना नाली व सड़क खराब होकर जीर्ण शीर्ण हो चुका है बरसात के दिनों में इस रास्ते पर गुजरना मुश्किल हो जाता है जिसे दृष्टिगत रखते हुए उक्त मार्ग पर सड़क एवं पाथवे निर्माण कार्य कराया जाना अत्यंत आवश्यक था जिसका स्थल निरीक्षण कर 7 करोड़ 35 लाख का प्राक्कलन तैयार कराया गया है तैयार प्राक्कलन अनुसार राशि मांग हेतु शासन को प्रस्ताव प्रेषित किये जाने का निर्णय बैठक में लिया गया है। प्रस्ताव शासन को प्रेषित कर जल्द से जल्द राशि स्वीकृति कराये जाने हेतु माननीय कैबिनेट मंत्री व विधायक अकबर भैया से अनुरोध किया जायेगा।

इन प्रस्तावों पर भी लगा मुहर

उन्हानें बताया कि इसी तरह भारतमाता प्रतिमा सौंदर्यीकरण स्थल में भारतमाता की प्रतिमा को सम्मानपूर्वक पीछे हटाकर सामने भाग में सौंदर्यीकरण कार्य के तहत गार्डनिंग, लाईटिंग सहित अन्य कार्य किये जाने, शासन की महत्तवपूर्ण योजनांतर्गत नरवा, गरूवा, घुरवा एवं बाड़ी अंतर्गत गौठान निर्माण, हाईटेक बस में अतिरिक्त कार्य किये जाने हेतु तैयार किये गये पुनरीक्षित प्राक्कलन पर मुहर लगाया गया है।

कोरोना से असामयिक मृत्यु, श्रद्धांजलि अर्पित

बैठक में कोरोना संक्रमण काल के दौरान कवर्धा शहर के प्रतिष्ठित नागरिकों के साथ-साथ नगर पालिका के कर्मचारी का भी असामयिक निधन हुआ है मृतक व उसके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित किये।

इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष ऋषि कुमार शर्मा के साथ उपाध्यक्ष जमील खान, सभापतिगण, पार्षदगण, एल्डरमेन सहित अधिकारी-कर्मचारीगण उपस्थित थे।

प्रधान आरक्षक समेत दो की कोरोना से मौत, 54 पॉजीटिव

नव प्रदेश संवाददाता

महासमुंद। जिले में बुधवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पदस्थ हेड कांस्टेबल समेत दो लोगों की मौत हो गई। हेड कांस्टेबल जिला के कोविड अस्पताल में भर्ती थे। तबीयत खराब होने के बाद उन्हें एम्स रायपुर रेफर कर दिया गया था जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। जिला अस्पताल के डॉ. छत्रपाल ने बताया कि हेड कांस्टेबल की मौत कोरोना एम्स रायपुर में हुई है। वह परसदा पुलिस लाइन का निवासी है। वहीं दूसरी मौत बसना ब्लॉक के ग्राम केंवटापाली के ग्रामीण की हुई। जानकारी के मुताबिक मृतक को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया जा रहा था। पहुंचने पर डॉक्टरों ने उनकी कोविड जांच की। जांच में ग्रामीण कोरोना पॉजीटिव निकला। इलाज शुरू होने से पहले ही उनकी मौत हो गई। बुधवार को दो लोगों की मौत के साथ जिले में कोविड से मरने वालों की संख्या 57 हो गई है। वहीं बुधवार को जिले में 54 करोना पॉजीटिव मिले। इसमें सबसे अधिक महासमुंद विकासखंड से 20, बागबाहरा से 4, पिथौरा से 14, बसना से 7 और सरायपाली से 9 लोग संक्रमित मिले।

नवरात्र पर्व को लेकर पुलिस थाना में शांति समिति की बैठक संपन्न

- **कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए मनाया जाएगा नवरात्र का पर्व**

गरियाबंद । 17 अक्टुबर से प्रारंभ होने वाले नवरात्र पर्व को लेकर बुधवार को पुलिस थाना में शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। तहसीलदार राकेश साहू एवं थाना प्रभारी विकास बघेल ने नगर के गणमान्य नागरिको, व्यापारियो एवं विभिन्न दुर्गा समिति के सदस्यो की मौजुदगी में नवरात्र पर्व को शांतिमय ढंग से मनाए जाने को लेकर चर्चा की। इस दौरान द्वय अधिकारियो ने नवरात्री के दौरान कोरोना संक्रमण के मद्देनजर शासन द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन किए जाने की अपील भी। बैठक में नायब तहसीलदार समीर शर्मा व नगर पालिका की सीएमओ संध्या वर्मा भी उपस्थित थे।

बैठक में तहसीलदार राकेश साहू ने बताया कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने आयोजन को लेकर गाइडलान जारी की है। गाइलाइन के मुताबिक नवरात्र पर्व पंडाल का आकार 15-15 से अधिक नही होगा, मूर्ति की उंचाई एवं चैडाई 6.5 फिट होगी। पंडाल के सामने कम से कम 3000 वर्गफिट की खुली जगह होनी चाहिए। वही खुली जगह में कोई भी सड़क व गली का हिस्सा प्रभावित ना हो। दो पंडाल के बीच की दूरी 250 मीटर से कम न हो। पंडाल में या पंडाल के सामने दर्शको व आयोजको के लिए बैठक व्यवस्था नही होगी।

न्यूज गैलरी

आदर्श युवा संघ केसला द्वारा नाली निर्माण

खरोरा। ग्राम पंचायत केशला के शनिवार बजार चौक को विगत पन्द्रह बीस साल से इस मैदान पर जन प्रतिनिधि उपेक्षा कर रहे हैं इसी बीच आदर्श युवा संघ के सदस्य स्वयं आज नाली निर्माण किया नाली नहीं होने से पूरे चौक में कीचड़ दलदल हो जाता था और बजार जो हफ्ते में दो बार होता है बड़ी तकलीफ़ होती थी ग्राम के सरपंच के सहयोग से मुरूम प्राप्त हुआ और पिछले वर्ष नया रंग मंच बनाकर इस स्थान में नया मौहल बना था सभी जन प्रतिनिधि से अनुरोध इस स्थान जो केशला के हृदय स्थल है उपेक्षा न करें ग्राम पंचायत केशला के विकाश में सहयोग ।

थाना परिसर में शांति सभा की बैठक संपन्न

खरोरा। थाना परिसर मे शांति समिति की बैठक दो चरणों आयोजित किया गया जहाँ पहले चरण मे परिक्षेत्र के सरपंच व कोटवारो के समुह व पत्रकार शामिल हुए वही दुसरे चरण के बैठक मे नगर के प्रबुद्ध जन व्यापारी व नगर पंचायत केअध्यक्ष, पार्षद व आस पास गाँव के जन प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया । थाना प्रभारी नितेश सिंह ठाकुर के द्वारा आयोजित शांति समित के बैठक मे बतौर तहसीलदार कृष्ण कुमार जयसवाल व सरिता मढरिया की उपस्थिति मे आयोजित किया दो चरणों में आयोजित बैठक मे जहाँ पहले चरण की बैठक मे उपस्थित खरोरा परिक्षेत्र के सरपंचो ने पत्रकारों के बीच थाना प्रभारी नितेश सिंह ठाकुर को गाँव गाँव मे बीक रहे अवैध शराब बेचने वालो पर कार्यवाही के साथ साथ अवैध शराब बेचने वालो कडी से कडी कार्यवाही की बात कही वही कुछ सरपंचो ने 112पेट्रोलिग टीम की सिकायत करते कहा कि 112के पुलिस कर्मी गाँव मे बीक रहे शराब कोचियों से पैसे की लेन देन कर मामला को दबा दिया जाता है आगे सरपंचो ने बताया की गाँव के चौक चौरहे मे जुआ का खेल खुले आम खेला जाता है जिसके चलते गाँव का महौल खराब होता है ।

गिरौदपुरी धाम में प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज का महा अधिवेशन व युवा प्रकोष्ठ का गठन संपन्न

खरोरा। प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज युवा प्रकोष्ठ का प्रदेश स्तरीय महाअधिवेशन व निर्वाचन मडवा सरहद स्थित सतनाम धर्मशाला में प्रदेश अध्यक्ष एल .एल.कोसले के आदेशानुसार व मार्गदर्शन में युवा प्रकोष्ठ के 3 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने पर अश्वनी बबलू त्रिवेंद्र के नेतृत्व व एस. आर. बंजारे की टीम द्वारा प्रदेशभर से आये हुए पदाधिकारियों व गणमान्य नागरिकों की गरिमा उपस्थिति में संपन्न हुआ । प्रदेशभर से आए समाज के पदाधिकारी गणों द्वारा सतनाम धर्मशाला मडवा से बाइक व कार रैली की काफिला निकल कर बाबा गुरु घासीदास जी के जय कारे व जय सतनाम व सतनामी एकता जिंदाबाद के नारे लगाते हुए मुख्य मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना किया गया तथा बाबा गुरु घासीदास जी के चरणों में गुरु गद्दी में मत्था टेक कर आशीर्वाद लिया और सुख शांति भाईचारे व सामाजिक एकता व अखंडता बनाए रखने की मंगल कामना किया तत्पश्चात वापसी सतनाम धर्मशाला भवन में मंच का संचालन करते हुए मोहन बंजारे द्वारा 3 वर्षो के कार्यकाल में किए गए रचनात्मक कार्यों व गतिविधियों तथा सामाजिक उपलब्धियों की जानकारी देते हुए सामाजिक एकता व समाज को संगठित रखने व सामंजस्यता बनाए रखने, युवाओं को सशक्त बनाकर टीम भावना से समाज विकास कार्य करते रहने को कहा। अश्वनी बबलू त्रिवेंद्र के नेतृत्व व एस.आर. बंजारे निर्वाचन अधिकारियों की टीम द्वारा आवेदन पश्चात युवा प्रकोष्ठ पदाधिकारियों का निर्वाचन सर्वसम्मति से निर्विरोध किया गया जिसमें दिनेश बंजारे प्रदेश अध्यक्ष (महासमुंद) दिनेश लहरे (बिलासपुर) प्रदेश उपाध्यक्ष महिला ओमेश्वरी गिलहरे बारले (रायपुर) मनोज बंजारे प्रदेश महासचिव(रायपुर) भोजराम मनहरे (आरंग) भागवत भारती प्रदेश कोषाध्यक्ष(बलोदा बाजार) मनीष रात्रे प्रदेश मीडिया प्रभारी (रायपुर)प्रदेश प्रबंध कार्यकारिणी सदस्य हेमंत भारद्वाज (रायपुर) मिलन रंगीला (रायपुर)अशोक बंजारे (आरंग) विजय प्रताप बंजारे (अकलतरा) लालजी हिरवानी (बलोदा बाजार) विनय गेंडरे (रायपुर) को सर्वसम्मति से युवा प्रकोष्ठ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मोहन बंजारे ने पुष्पा हार पहनाकर व अश्वनी बबलू त्रिवेंद्र ने मिठाई खिलाकर सभी का स्वागत कर शुभकामनाएं दी । सभी नव निर्वाचित पदाधिकारियों को संसदीय सचिव व विधायक बिलाईगढ़ चंद्रदेव राय जी ,पूर्व सांसद पी. आर. खुटे जी जनपद उपाध्यक्ष पलारी मनोज आडिल जी, राजेंद्र रंगीला ,किरण भारती अनंत ,राजाराम बनर्जी, डमरू मनहर, नरेंद्र बंजारे ,फुलेश्वरी बंजारे ,दिलीप बंजारा सहित लोगों ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए समाज हित में कार्य करने व युवाओं को सशक्त बनाने सामाजिक एकता ,भाईचारा अखंडता बनाए रखने को कहा ।

एमपी से आ रही 1.50 लाख रूपए की अवैध शराब और वाहन जब्त

- विगत 20 दिनों में आबकारी विभाग की दूसरी बड़ी कार्यवाही

कवर्धा। आबकारी आयुक्त रायपुर छत्तीसगढ़ श्री निरंजन दास एवम प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कारपोरेशन श्री ए पी त्रिपाठी द्वारा अन्य प्रांत के मदिरा परिवहन में रोक लगाने हेतु आदेशित किया गया है । इसी क्रम में कलेक्टर कबीरधाम श्री रमेश कुमार शर्मा के मार्गदर्शन में प्रभारी जिला आबकारी अधिकारी कबीरधाम श्री जीपीएस दर्दी के निर्देशन में 13 और 14 अक्टूबर के रात को मुखबिर के आधार पर मध्यप्रदेश के बालाघाट जिले से मदिरा परिवहन होने की सूचना मिली। सूचना अनुसार तत्काल आबकारी विभाग कबीरधाम के द्वारा सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री नितिन कुमार खंडूजा के निर्देशन में एक टीम द्वारा नाका लगाकर रात्रि लगभग 11.30 बजे अत्यंत सवेंदनशील रेंगाखार जंगल में महिंद्रा टीयूव्ही 300 वाहन क्रमांक सीजी 04 एमटी 7923 को रोककर तलाशी लेने पर मध्यप्रदेश में विक्रय हेतु निर्मित विदेशी मदिरा गोवा व्हिस्की 25 पेटी/225 बल्क मदिरा बरामद कर कब्जे आबकारी लिया गया। उक्त 25 पेटी जब्त मदिरा का बाजार मूल्य लगभग 150000 है। मौके पर वाहन स्वामी अजय मंडावी उम्र 23, सहयोगी हेमंत मंडावी उम्र 24 वर्ष एवं ओम पोर्ते उम्र 19 वर्ष सभी साकिन खम्हरिया थाना तिल्दा जिला रायपुर को आबकारी अधिनियम की धारा 34(2), 36 एवं 59 क के तहत गिरफ्तार किया गया एवं रात्रि में थाना कोतवाली कवर्धा में रक्खकर अभी रिमांड में जेल भेजने की कार्यवाही की जा रही है। कार्यवाही में कुल जब्त स्प्रिट का बाजार मूल्य लगभग 150000 एवं वाहन लगभग 10 लाख कुल 1150000 लगभग की है। कार्यवाही में आबकारी उपनिरीक्षक श्री नागेश राज श्रीवास्तव, तुलेश देशलहरें तथा आबकारी मुख्य आरक्षक जय सिंह मरकाम आरक्षक संजय सिंह राजपूत संदीप तिरकी, जनक राम जगत नगर सैनिक हेमचंद गुमान सिंह, राजेश एवं ड्राइवर राजेश कौशिक एवं जितेंद्र सागर शामिल थे। उल्लेखनीय है कि विगत 20 दिनों में आबकारी विभाग कवर्धा की ये दूसरी बड़ी कार्यवाही है।

बसना पुलिस ने 8 किलो 100 ग्राम गांजा के साथ उड़ीसा के दो लोगों को किया गिरफ्तार

महासमुंद। महासमुंद, बसना। पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल कुमार ठाकुर के निर्देशन पर एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमति मेघा टेंभुलकर व अनुविभागीय अधिकारी सरायपाली विकास पाटले के मार्गदर्शन मे थाना प्रभारी बसना लेखराम ठाकुर के द्वारा मादक पदार्थ गांजा का अवैध बिक्री/परिवहन पर कार्यवाही का मुहिम छेड़ते हुये दिनांक 14/10/2020 को मुखबीर की सुचना पर आरोपीगण - आरोपी क्र 01. कान्तो जुएड पिता टिकेलाल जुएड उम्र 21 साल निवासी जमला थाना पदमपुर जिला बरगढ उड़ीसा ,02. विश्वजीत जुएड पिता मकारू जुएड उम्र 22 वर्ष निवासी जमला थाना पदमपुर जिला बरगढ उड़ीसा अवैध मादक पदार्थ गांजा परिवहन करते पकड़ा गया. जिसके कब्जे से 01. एक सफेद रंग की प्लास्टिक बोरी के अंदर भरा अवैध मादक पदार्थ जैसे गांजा नमीयुक्त हरा रंग झिल्ली सहित कुल वजनी 08 किलो 100 ग्राम सीलबंद ,02. दो प्लास्टिक डिब्बा में भरा मादक पदार्थ जैसे गांजा सेम्पल 100 - 100 ग्राम जिसे मार्ग A- 1,A- 2 दिया गया है सीलबंद जुमला अवैध मादक पदार्थ जैसे गांजा वजनी झिल्ली सहित 08 किलो 300 ग्राम कीमती 83000 रूपये ,03. एक लाल रंग टीवी एस स्टार मो0सा0 क्र0 OD 17 D 6433 चेचिस नंबर MD625GF5641N17138 इंजन नंबर 0F5N41018050 पुरानी इस्तेमाली कीमती 10000 रूपये 04. एक काला रंग कीपेड जियो मोबाईल जिसका IMEI NO. 911663051034356 जिसमें जियो सिम नं 7955807914 लगा है।

आबकरी विभाग ने 31 लीटर ओड़िशा निर्मित जेब्रा छाप मदिरा जप्त किया

महासमुंद। जिला आबकारी अधिकारी दिनकर वासनिक के मार्गदर्शन में 13 अक्टूबर 2020 को आबकारी विभाग द्वारा ओड़िशा राज्य की अवैध मदिरा विक्रय पर बड़ी कार्रवाई किया है। उन्होंने बताया कि मुखबिर की सूचना मिलने पर आबकारी दल द्वारा ग्राम डोंगरगांव थाना कोमाखान में नदी किनारे गणपत राउत निवासी ग्राम झिटकी थाना बेलटुकरी जिला नयापारा (ओड़िशा) को घेराबंदी कर पकड़ा गया तथा उनके कब्जे से एक बोरी में 156 नग जेब्रा छाप ओड़िशा निर्मित मदिरा प्रत्येक में 200 मिली लीटर कुल 31.20 लीटर मदिरा जप्त किया गया। आरोपी को आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत न्यायालय से रिमांड लेकर जेल भेजा गया।

35 वर्षीय मरीज की ब्राड डेथ, मरणोपरांत निकले कोविड पॉजीटिव

महासमुंद। ग्राम केंवटापाली के 35 वर्षीय मरीज की उपचार के लिए जिला चिकित्सालय पहुंचने के पहले ही मृत्यु होने की पुष्टि स्वास्थ्य विभाग ने की है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डा. आरके परदल के मुताबिक मृतक को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय लाया जा रहा था। जहां पहुंचने पर दोपहर 1.20 बजे चिकित्सकों ने उनकी प्रारम्भिक जांच की। जांच में पाया गया कि युवक की अस्पताल पहुंचने और उपचार शुरू किए जाने के पूर्व ही मृत्यु हो चुकी थी। मरणोपरांत मृतक की कोविड-19 जांच की गई। जिसमें उन्हें कोविड-19 का धनात्मक पाया गया।

कत्ता लहराते युवक गिरफ्तार

महासमुंद। बसना मुख्य मार्ग में पुलिस ने कत्ता लहराते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि शहर के वार्ड 6 निवासी तीलूराम धीवर मंडी के पास धारदार हथियार कत्ता लहरा कर लोगों को धमका रहा था। पुलिस ने सूचना पर उसके पास से साढ़े 12 इंच लंबा कत्ता जब्त कर 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की।

देवभोग में डायलिसिस की सुविधा प्रदान करने के लिए जिप उपाध्यक्ष संजय नेताम ने मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री का जताया आभार

गरियाबंद। बिन्द्रानवागढ़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे जिला पंचायत उपाध्यक्ष संजय नेताम ने देवभोग के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सीएपीडी डायलिसिस के लिए फ्ल्यूड की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने पर प्रसन्नता जाहिर की है। उन्होने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस बाबा को इसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हुए क्षेत्रवासियो की ओर से उनका आभार जताया है।

ज्ञात हो कि बिन्द्रानवागढ विधासनसभा अंतर्गत देवभोग ब्लाक के बहुचर्चित ग्राम सुपेबेड़ा में किडनी रोग से पीड़ित ग्रामीणो की समस्या और स्वास्थ्य सुविधा को लेकर संजय नेताम लगातार आवाज उठाते रहे है। सत्ता परिवर्तन के बाद भी कई बार इस समस्या को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को क्षेत्रवासियों के मंशानुरूप अवगत कराते रहे। फलस्वरूप राज्य शासन ने बहुचर्चित सुपेबेड़ा के किडनी बीमारी से ग्रसित लोगों की समस्याओ पर गंभीरता से संज्ञान लेते हुए 2.4 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत कर किडनी रोगियों को देवभोग में ही तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराने की पहल की है। जिला पंचायत उपाध्यक्ष संजय नेताम ने बताया कि सुपेबेड़ा, गोहेकला में लगातार किडनी रोगियों की बढ़ती संख्या क्षेत्र के लिए चिंता का कारण बना हुआ था जिसे शासन ने पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत लेकर बड़ी संवेदनशीलता से कार्य किया जिसका प्रतिफल अब देखने को मिल रहा है।

उन्होने बताया कि गुरूवार से देवभोग में डायलिसिस के लिए फ्ल्यूड की उपलब्धता शुरू हो गई है। यहां डायलिसिस की संपूर्ण व्यवस्था हो जाने से किडनी मरीजों की तकलीफें कम होंगी और बार-बार दवाई लेने के लिए रायपुर की 225 किमी की दूरी तय करने की आवश्यकता नहीं होगी। जिससे लोगों का शारीरिक व्यय, समय व धन की बचत होगी और स्वास्थ्य सेवाएं निकटतम स्थानों पर सुनिश्चित हो जाने से मानसिक पीड़ा भी नहीं होंगी।

विधायक प्रतिनिधि मनोज जायसवाल ने दिया चेक

साजा। नगर पंचायत साजा में संचालित कन्या जन्म प्रोत्शाहन के तहत वार्ड क्र 02 निवासी सती बाई को 2000 रुपये का चेक विधायक प्रतिनिधि मनोज जायसवाल द्वारा दिया। इस अवसर पर पूर्व पार्षद दिनेश साहू, सुरेश वर्मा सहित कर्मचारीगण भारत भूषण ठाकुर, टुब्लू राम सिन्हा, केशव साहू, चंद्रप्रकाश वर्मा, दुकालू राम वर्मा सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।

ठंड और प्रदूषण से कोरोना संक्रमण और अधिक फैल सकता है - डॉ पांडा

बेमेतरा/साजा। मेडिकल कॉलेज हास्पिटल रायपुर के पल्मोनरी मेडिसिन के विशेषज्ञ डॉ आर के पांडा ने लोगों को सचेत किया है कि कोरोना संक्रमण का खतरा अभी टला नही है। बल्कि ठंड बढ़ने से और प्रदूषण बढ़ने से यह और फैल सकता है जैसा यूरोप और अन्य देशों की रिसर्च में जानकारी सामने आई है। उन्होने कहा कि वर्तमान में इसके मामले कुछ कम हुए हैं लेकिन दशहरा ,दीपावली त्योहार मनाने के दौरान यदि लापरवाही बरती गई तो संक्रमण बढ़ जाएगा। उन्होने कहा कि सर्दी,बुखार के लक्षण दिखने पर घर पर ही स्वयं दवाई न लेकर तुरंत डाक्टर को दिखाना चाहिए और उनकी सलाह से कोरोना की जांच करानी चाहिए। जितनी जल्दी इलाज शुरू होगा,स्वस्थ होने की संभावना उतनी ही तेजी से बढ़ती है। मास्क से मुंह और नाक अच्छी तरह ढंके, भीड़ में जाने से बचें और हाथों की नियमित साबुन से सफाई करें। उससे पहले चेहरे, आंखों को न छुएं। ये आदतें कोरोना काल ही नही बाद में भी असरकारक साबित होंगी।

बेमेतरा विधायक आशीष छाबड़ा के अथक प्रयास से बनेगी बाईपास सड़क

बेमेतरा/साजा। बेमेतरा विधायक आशीष छाबड़ा के अथक प्रयासों का प्रतिफल बेमेतरा नगर की जनता तथा समूचे विधानसभा को मिलने जा रहा है, विधायक आशीष छाबड़ा के प्रयासों से बन रही लोलेसरा- ढोलिया-बिलई-भोईनाभाठा-पिपरभठा -चोरभट्टी लिंग रोड़ को राज्य सरकार ने बायपास सड़क में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है। जिसके सम्बंध में मंत्रालय छत्तीसगढ़ शासन लोक निर्माण विभाग का आदेश प्राप्त है, जिसमे राज्य सरकार ने लिंक रोड़ हेतु पूर्व में राज्य सरकार द्वारा 19.88 करोड़ रुपये स्वीकृत किया गया था, जिसमे 36 पुलिया सहिय सड़क निर्माण कार्य स्वीकृत किया गया था, जिसे राज्य सरकार ने विधायक आशीष छाबड़ा के लगातार राष्ट्रीय राजमार्ग के मापदण्ड अनुरूप बायपास सड़क की मांग पर निर्णय लेते हुये पुनरीक्षित राशि 49 करोड़ 98 लाख रुपये की स्वीकृति दी है जिसमे 35 के स्थान पर 46 पुल-पुलिया के निर्माण राष्ट्रीय राज मार्ग के माप दण्ड अनुरूप किया जाएगा। ज्ञात हो कि पुनरीक्षित सड़क 2 वे सड़क बनेगी तथा इस सड़क की चौड़ाई 12 मीटर होगी बेमेतरा शहर की सर्वाधिक प्रतीक्षित मांग बेमेतरा शहर के मुख्य मार्ग में फोर लेन सड़क निर्णाम एव बेमेतरा शहर से बायपास सड़क का निर्माण कार्य स्वीकृती हेतु विधायक आशीष छाबड़ा शुरू से ही कृत संकल्पित होकर लगातार भिड़े हुये थे जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र को नये विकास पथ पर गतिमान किया है। ज्ञात हो की इन दोनों सड़को के निर्माण से बेमेतरा शहर के भीतर से गुजरने वाले भारी वाहनों की संख्या में भारी कमी आयेगी ।

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 20201010040041‍3

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक बेयंत सिंग उर्फ राजा आ. प्रीतम सिंग निवासी गुरुद्वारा के पीछे संतराबाड़ी दुर्ग तह. व जिला दुर्ग द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम सिकोला प.ह.न. 08 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 299/331 रकबा 0.025 हें/ 2205 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 13.10.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

रा.प्र.क्र./अ-06/ वर्ष 2019-20

एतद् द्वारा सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदिका शायर बाई पिता/ पति स्व. ताराचंद जैन वगै. निवासी आपापुरा वार्ड गवलीपारा दुर्ग मौजा बघेरा प.ह.नं. 07 रा.नि.मं. सिकोला तह. व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नंबर 266/21 एवं 267/22 रकबा 0.054 हे. ताराचंद जैन के नाम पर दर्ज है, भूमिस्वामी की मृत्यु दिनांक 25.03.2018 को हो जाने के कारण वारिसानों का नाम दर्ज करने हेतु आवेदन पेश किया है।

अतएव उपरोक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा/आपत्ति करना हो तो नियत पेशी दिनांक 29.10.2020 अथवा प्रकाशन तिथि से 15 दिवस तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 12.10.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर के साथ जारी किया गया।

मुहर — नायब तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग अण्डा जिला दुर्ग (छ.ग.)

मामले की श्रेणी- राजस्व

मा. क्रं. 202010101200063

विषयः-अ-27 सन् 2020-21

कोड़िया प.ह.न. 00038 हें.)

पक्षकारों का वितरण -आवेदक पक्षकार - सेवकराम चंद्राकर एवं अन्य 03

अनावेदक पक्षकार-

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक सेवकराम चंद्राकर एवं अन्य 03 निवासी ग्राम कोड़िया तह. व जिला दुर्ग आवेदक सेवकराम चंद्राकर, विष्णु प्रसाद चंद्राकर, नंदूराम चंद्राकर एवं रामेश्वर चंद्राकर का नाम ऋण पुस्तिका क्रमांक 1353969 खसरा नं. 65, 495, 519, 67 एवं 129 कुल रकबा 6.06 हे. एवं दूसरा ऋण पुस्तिका क्रमांक 327057 ख.न. 517 रकबा 1.40 हे. आदेश दिनांक 01.09.2020 को भूमिस्वामी अंकित हो गया है। अभी तक सभी आवेदकगणो को बंटवारा का भूमि नहीं मिल पाया है। आवेदकगणों द्वारा आपसी बटवारा कर नया ऋण पुस्तिका प्रदान करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 29.10.2020 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 12.10.2020 को जारी किया जाता है।

मुहर — नायब तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

कार्यपालिक दण्डाधिकारी दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

ईश्तहार

मा.क्रं./अ-06/वर्ष 2020-21

एतद द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदिका श्रीमती धर्मिण यादव पति विष्णु साहू साकिन वार्ड 24 आमदी मंदिर दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा अपने ससुर बैशाखुराम यादव आ. स्व. सोमनाथ यादव की मृत्यु दिनांक 19.09.2008 को हो चुकी है। उक्त संबंध में मृत्यु प्रमाण पत्र चाहा गया है जिसका प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः जिस किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को इस संबंध में आपत्ति दावा या उजर पेश करना हो तो पेशी दिनांक 27.10.2020 तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति दावा या उजर प्रस्तुत कर सकते है।

आज दिनांक 12.10.2020 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के पद मुद्रा से प्रकाशन हेतु जारी किया गया ।

मुहर — कार्यपालिक दण्डाधिकारी, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-74/वर्ष 2020-21

ई.कोर्ट- 202010100700129

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री रवि यादव वगै. पिता स्व. रामाधार यादव निवासी ग्राम शिवपारा तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 555/5 रकबा 0.0080 हे. भूमि जो कि आवेदक/ शामिलात सहखातेदार के नाम पर वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज है। आवेदक द्वारा मूल ऋण पुस्तिका गुम हो जाने पर डुप्लीकेट ऋण पुस्तिका प्रदाय करने हेतु आवेदन पत्र चालान की मूल प्रति, बैकों द्वारा प्रस्तुत अनापत्ति प्रमाण पत्र, थाना की रिपोर्ट व राजस्व अभिलेख सहित इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 29.10.2020 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 13.10.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

रा.प्र.क्रं./अ-06/वर्ष 2019-20

एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका श्रीमती कांति पति स्व. संतोष भारती निवासी ग्राम डुमरडीह प.ह.न तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम डुमरडीह तह. व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 286 रकबा 1.09 हें भूमि जो कि आवेदिका के पति संतोष भारती आ. धरमू के नाम पर वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज है। उक्त भूमि के भूमिस्वामी के मृत्यु संतोष भारती आ. धरमू के हो जाने पर फौती दर्ज कर विधिक वारिसानों का नाम वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज किए जाने बाबत् आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 19.10.2020 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 03.10.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — नायब तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202009100400108

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री राजेन्द्र सिंह आ. मंगल सिंह निवासी भिलाई तह. व जिला दुर्ग द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम जामुल प.ह.न. 18 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 384/22 रकबा 0.018 हें/ 2000 वर्गफीट भूमि का आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 02.09.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202010100400437

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री मोहेन्द्र कुमार सोनी आ. घनाराम सोनी निवासी उमदा तह. पाटन व जिला दुर्ग द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम उतई प.ह.न. 42 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 986/83 रकबा 0.020 हें/ 1700 वर्गफीट भूमि का आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 14.10.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202010100400438

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री भूपेश सोनी आ. मोहेन्द्र सोनी निवासी उमदा तह. पाटन व जिला दुर्ग द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम उतई प.ह.न. 42 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 986/32 रकबा 0.020 हें/ 2200 वर्गफीट भूमि का आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 14.10.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202010100400411

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका श्रीमती हसीन बानो जौ. मो. यूनूस निवासी बोरसी तह. व जिला दुर्ग द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम बोरसी प.ह.न. 23 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 241/129 रकबा 0.014 हें/ 1556 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 13.10.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202010100400409

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका श्रीमती जाहेरा बेगम जौ. शमीम अहमद खा निवासी केलाबाड़ी तह. व जिला दुर्ग द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम बोरसी प.ह.न. 23 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 282/67 रकबा 0.009 हें/ 1000 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 13.10.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यूज गैलरी

सीएम भूपेश ने मिसाइल मैन श्री कलाम की जयंती पर उन्हें याद किया

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व राष्ट्रपति, महान वैज्ञानिक, भारत रत्न डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम की जयंती पर उन्हें नमन किया है। श्री बघेल ने उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को याद करते हुए कहा कि श्री कलाम का जीवन राष्ट्र सेवा का अनंतकाल तक पढ़े जाने वाला महाग्रंथ है। अपने सपनों को अपना दृढ़ संकल्प बनाने के लिए युवाओं को प्रेरित करने वाले राष्ट्रऋषि, मिसाइल मैन श्री कलाम के जन्मदिन पर हम सब उनका पावन स्मरण करते हैं।

पूर्व राष्ट्रपति कलाम की जयंती पर रमन सिंह ने किया नमन

रायपुर। देश के पूर्व राष्ट्रपति डा. एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह ने ट्वीट कर उन्हें नमन किया है। डा. सिंह ने कहा कि भारत रत्न डा. कलाम स्वर्णिम भारत के स्वप्नदृष्टा थे। युवाओं के सुनहरे भविष्य को लेकर वह सदैव प्रेरणा देते रहे है। उनका सम्पूर्ण जीवन सादगी व सत्य के मार्ग पर चलकर बीता है। मैं उनके चरणों में नमन करता हूं।

कौशिक, बृजमोहन सहित भाजपा नेताओं ने रमन सिंह को ट्वीट कर दी जन्मदिन की बधाई

रायपुर। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डा. रमन सिंह को उनके जन्मदिन पर नेताप्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक, पूर्व मंत्री व विधायक बृजमोहन अग्रवाल सहित अन्य भाजपा नेताओ ने ट्वीट कर उन्हें जन्मदिन की बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। साथ ही भाजपा नेताओं ने डा. सिंह के उत्तम स्वास्थ्य एवं सुदीर्घ जीवन की कामना की है।

जनता कांग्रेस को गैर मान्यता प्राप्त दलों की सूची में डालना गलत-अमित

रायपुर। जनता कांग्रेस छग जे के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने आज अपने ट्वीट अकाउंट में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा भेजे गए पत्र में जनता कांग्रेस को गैर मान्यता प्राप्त दलों की सूची में शामिल किए जाने पर नाराजगी जताते हुए कहा कि लोकतंत्र के साथ इस प्रकार का मखौल चिंताजनक है। अमित जोगी ने ट्वीट कर कहा कि ऑनलाइन नामांकन चिन्ह आबंटन प्रक्रिया में सीईओ छत्तीसगढ़ का छग के प्रथम व एकमात्र मान्यता प्राप्त दल जनता कांग्रेस को गैर मान्यता प्राप्त दलों की सूची में डाला गया है जो गलत है। उन्होंने कहा कि ऐसा भूलवश हुआ है या फिर जानबूझकर ये तो परसो ही समझ में आएगा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के साथ इस प्रकार का मखौल चिंताजनक है।

कार्यकर्ताओं के लिए सांसद बघेल का अनशन जारी

■ समर्थन में पत्नी रजनी बघेल भी बैठीं धरने पर

■ रायपुर सांसद, वरिष्ठ नेताओं का भी मिला साथ

नवप्रदेश संवादाता

भिलाई। भाजपा कार्यकर्ताओं की रिहाई की मांग को लेकर सांसद विजय बघेल का आमरण अनशन आज दूसरे दिन भी जारी रहा। उनका साथ देने के लिए उनकी पत्नी रजनी बघेल भी अनशन में बैठी हैं। बीजेपी सदस्यों और कार्यकर्ताओं के खिलाफ आपराधिक प्रकरण और जेल दाखिला के मुद्दे पर भाजपा सांसद श्री बघेल के समर्थन में मंडी गेट धरना स्थल पर सांसद सुनील सोनी, पूर्व संसदीय सचिव लाभचंद बाफना, भाजपा नेता अशोक बजाज भी आज पहुंचे थे।

वहीं लगातार दूसरे दिन भी जारी सांसद विजय बघेल के अनशन व प्रदर्शन पर चर्चा के लिए जिला प्रशासन और राज्य सरकार की तरफ से एक भी जिम्मेदार नहीं पहुंचा था। सांसद श्री बघेल के इस प्रदर्शन के बाद भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं में भारी जोश है।

सरोज पांडेय रहीं दूर

इस पूरे प्रदर्शन और अनशनरत पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं के समर्थन में भाजपा नेताओं का लगातार शामिल होना जारी है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि आज राज्यसभा सांसद सरोज पांडेय और उनके समर्थक दुर्ग में होने के बाद भी मंडी गेट में पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए धरने पर बैठे सांसद विजय बघेल के समर्थन में नहीं पहुंचे हैं।

सांसद बघेल केंद्र सरकार के अहंकार में संविधान और माननीय न्यायायल से ऊपर समझ रहे है : विकास

रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव एवं प्रवक्ता विकास तिवारी ने दुर्ग से भाजपा सांसद विजय बघेल के द्वारा सरकारी शराब दुकान में लूटपाट करने वालों के समर्थन में दिये जा रहे हैं अनशन को राजनीतिक ड्रामा करार दिया है और कहां है कि मोदी सरकार के किसान विरोधी बिल के गांव-गांव में हो विरोध के कारण भाजपा सांसद अपने क्षेत्र में किसानों को मुंह नहीं दिखा पा रहे हैं और इन सभी बातों से ध्यान भटकाने के लिये वह सरकारी शराब दुकान में लूटपाट करने वाले अपराधियों के लिए अनशन का राजनीतिक नाटक कर रहे हैं जबकि शराब दुकान के लूटपाट में कुल 11 आरोपियों को नामजद आरोपी बनाया गया था जिनके ऊपर धारा 147, 149, 186, 186, 392 एवं लोक संपत्ति क्षति की धारा 3 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। जिनमें से सात आरोपियों ने माननीय हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत ले ली थी और शेष 4 आरोपियों ने अग्रिम जमानत हेतु आवेदन नहीं दिया था। उनकी गिरफ्तारी कानून के अनुरूप हुई और उन्हें जेल भेज दिया गया। भाजपा सांसद विजय बघेल अपने आप को भारत के संविधान और कानून व्यवस्थाओं से ऊपर समझने लगे हैं और न्यायालयीन प्रणाली का भी वह अपमान कर रहे हैं जबकि उन्हें मालूम है कि शेष चार आरोपियों को भी नियमानुसार माननीय न्यायालय से जमानत मिलने के पश्चात ही जेल से रिहा किया जायेगा। कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी ने कहा कि भाजपा सांसद विजय बघेल यह भूल गए हैं कि भारतीय न्याय प्रणाली के ऊपर राजनीतिक दल नहीं होता और उन्हें ज्ञात भी होगा कि वर्ष 2014 में तत्कालीन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष एवं पाटन विधायक पाटन ब्लॉक अध्यक्ष एवं अन्य पर अपने सरकार के द्वारा दबाव पूर्वक एसडीएम स्तर के अधिकारियों से कहकर 15 सितंबर 2014 को जुर्म दर्ज करवाया था जिनमें धारा 147,148,149,186, 353 और 427 लगाई गई थी जिसमें की नियमानुसार जमानत लिया गया था सरकारी अधिकारियों को प्रमोशन का लालच देकर झूठा प्रकरण दर्ज करने का कृत्य पूर्ववर्ती रमन सरकार के समय बहुतायत होता था।

वाणिज्यिक-कर संबंधी मामलों पर मंत्री सिंहदेव को वल्र्यानी ने दिए सुझाव

नव प्रदेश संवाददाता

रायपुर। कोरोना काल में लाक डाउन के चलते उद्योग-व्यापार की गतिविधियॉं लगभग बंद रही। अनलाक होते ही व्यापारी-उद्योगपति अपने-अपने व्यापार-उद्योग को पटरी पर लाने में लग गए। इस दौरान जी.एस.टी संबंधी कंपलायांस के साथ ही वेट के पुराने प्रकरणों के निवृतन से भी उन्हें जूझना पड़ रहा है। लाक डाउन के कारण राज्य शासन का राजस्व भी गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है। अतः वाणिज्यिक कर विभाग ने पुरानी बकाया वसूली और वेट-प्रकरणों के निपटान के लिए भी दबाव बनाया है। इन सबसे व्यापारी-उद्योगपति विचलित एवं परेशान हैं। कोरोना काल में उपजी इन समस्याओं के निदान के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता एवं पूर्व विधायक रमेश वल्र्यानी, जो पेशे से टैक्स एडवोकेट हैं, ने छत्तीसगढ़ के वाणिज्यिक कर मंत्री श्री टी. एस. सिंहदेव से उनके निवास में भेंटकर, उन्हें वेट प्रकरणों के निवृतन, बकाया वसूली, रिफंड आदि को लेकर कुछ व्यवहारिक सुझाव सौंपे ताकि इनका निराकरण हो सके। इस अवसर पर वाणिज्यिक कर विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती मनिन्दर कौर द्विवेदी भी उपस्थित थी।

श्री वल्र्यानी ने वाणिज्यिक कर की बकाया वसूली को लेकर व्यवसायी के बैंक-खाते को सीज करने की विभागीय कार्यवाही को न्यायसंगत बनाने कहा है। इस पर उन्होंने सुझाव दिया है कि जिन प्रकरणों की नियमित सुनवाई में अतिरिक्त मांग सृजित हुई है- उनकी वसूली के लिए अंतिम विकल्प के रूप में बैंक खाता सीज किया जाए। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में यह कार्यवाही दीवाली पश्चात् की जाए क्योंकि तब तक नगद तरलता की स्थिति में सुधार आएगा।

राजभवन की अहम बैठक में नहीं जाने पर घिरे गृहमंत्री

बहानेबाजी संवैधानिक अवमानना : भाजपा

कांग्रेस ने कहा- भाजपा की कुत्सित मानसिकता

रायपुर। सूबे में कानून व्यवस्था और महिलाओं के खिलाफ अपराध पर पुलिसिया कार्यशैली को लेकर राजभवन में बुलाई गई अहम बैठक में ऐन वक्त पर गृहमंत्री के उपस्थित नहीं होने का मामला तूल पकड़ लिया है। यह मामला तब और सियासी हो गया जब एक ही दिन क्राइम के मुद्दे पर बुलाई गई राज्यपाल की बैठक और मुख्यमंत्री व्दारा समीक्षा बैठक थी। दोनों ही बैठकें पूर्व निर्धारित थीं। लेकिन, गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू राजभवन की बैठक में शामिल नहीं हुए और राज्यपाल ने बैठक टाल दी। चौंकाने वाली बात तब हुई कि चंद घंटों बाद ही गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू अपने आला अफसरों के साथ मुख्यमंत्री निवास में हुई बैठक में उपस्थित हुए। बताते हैं कि राजभवन में बैठक में शिरकत नहीं करने की वजह गृहमंत्री के क्वारंटाईन होने था। ऐसे में भाजपा ने गृहमंत्री के राज्यपाल की बैठक में शामिल नहीं होने और मुख्यमंत्री की बैठक में समय पर उपस्थित होने को लेकर उनकी बहानेबाजी बताया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा राज्यपाल के यहां नहीं जाने और उसी दिन चंद घंटे बाद सीएम हाउस में शरीक होने से गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू को संवैधानिक अवमानना का दोषी बताया। श्री साय ने कहा राज्यपाल की बैठक में बुलाने के बाद भी शरीक नहीं होना मंत्री की राजनीतिक अशिष्टता का परिचय देता है। इधर भाजपा व्दारा गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू को घिरता देख कांग्रेस नेता उनके बचाव पर उतर गए हैं। कांग्रेस नेता शैलेष नितिन त्रिवेदी ने गृहमंत्री पर की गई भाजपाई टिप्पणी को कुत्सित मानसिकता बताते हुए ताम्रध्वज साहू का बचाव किया है। उन्हों ने तल्ख अंदाज में कहा कि जिस तरह भाजपा राज्यपाल के कार्यक्रमों के विवरण का राजनीतिकरण कर रही है वह उनकी कुत्सित मानसिकता और मंशा जाहिर करती है। आज गुरुवार को गृहमंत्री के राजभवन ना जाने पर संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने बयान दिया कि कोरोना संक्रमित रिपोर्ट आने के बाद पीएल पुनिया के संपर्क में गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू भी आए थे।

ज्वाइनिंग के लिए गए पर राजभवन से बिना ज्वाइन किए लौटे

■ राजभवन की डिप्टी सक्रेटरी रोक्तिमा राय मंत्रालय रवाना

नवप्रदेश संवादाता

रायपुर। राजभवन और राज्य सरकार में सचिव की तैनाती को लेकर नाराजगी का आलम अब भी कायम है। राज्यपाल के सचिव नियुक्त किए गए नए सचिव अमृत खलको ज्वाईनिंग के लिए पहुंचे पर ज्वाइन नहीं कर पाए। बस्तर कमिश्नर से रिलीव होकर श्री खलको आज 11 बजे राजधानी पहुंच गए थे। उनकी रायपुर पहुंचते ही राज्यपाल अनसुईया उइके से दिन में दो बार मुलाकात हुई। फिर भी उनकी आज ज्वाईनिंग नहीं हो पाई। जगदलपुर से सीधे राज्यपाल के नए सचिव मंत्रालय पहुंचे। दोपहर से लेकर शाम तक वे दो दफे राज्यपाल से मिले और लौट गए। चर्चा क्या हुई और ज्वाईनिंग को लेकर राज्यपाल सुश्री अनुसूईया उइके ने क्या निर्देश दिया यह अब तक जारी नहीं किया गया है। बता दें कि राजभवन सचिव के तौर पर श्री खलको का अतिरिक्त प्रभार है। जबकि राज्यपाल के पूर्व सचिव सोनमणी बोरा पूर्ण कालिक थे। संभवतया इसी को लेकर राजभवन और राज्य सरकार के बीच रार है। इतना ही नहीं पूर्ण कालिक सचिव के बजाए अतिरिक्त प्रभारी सचिव नियुक्त को लेकर तथा नाम व पैनल को लेकर भी रायशुमारी नहीं की गई है। नतीजतन आज मंत्रालय से सीधे राजभवन पहुंचने के बाद भी ज्वाईनिंग नहीं हो सकी।

जोगी जाति मामला : ऋचा का प्रमाण पत्र निलंबित

■ जिला स्तरीय छानबीन समिति ने कहा प्रस्तुत जवाब संतोषप्रद नहीं

रायपुर। स्व. अजीत जोगी की बहू श्रीमती ऋचा जोगी का जाति प्रमाण पत्र जिला स्तरीय छानबीन समिति ने निलंबित कर दिया है। छानबीन समिति ने अब से कुछ देर पहले उक्ताशय की जानकारी दी है। समिति की ओर से एडीएम श्री नशीने ने जानकारी दी कि प्रस्तुत जवाब समिति को संतुष्ट नहीं करता है। इसलिए ऋचा रुपारी साधू(अब जोगी)का जाति प्रमाण पत्र निलंबित किया कर दिया गया है। उन्हों ने यह भी दावा किया कि राज्य सरकार ने जाति प्रमाण पत्र के लिए जिला स्तर पर समिति का गठन किया है। उसे निरस्त करने का नहीं लेकिन जाति प्रमाण पत्र को निलंबित करने का अधिकार है। वैसे मुंगेली जिला प्रशासन की इस जाति प्रमाण पत्र छानबीन समिति ने फैसला देर शाम सार्वजनिक किया। इसके बाद प्रदेश में इस बात के स्पष्ट संकेत पहले से ही मिल रहे थे कि ऐसा कुछ फैसला होगा। वैसे निरस्त नहीं पर निलंबित किए जाने के बाद भी कल मरवाही उपचुनाव में अगर नामांकन दाखिला के लिए ऋचा जाएंगी तो कलेक्टर(जिला निर्वाचन अधिकारी)मना कर सकते हैं। अंततः जिला स्तरीय जाति प्रमाण पत्र छानबीन समिति ऋचा रुपाली साधू का जाति प्रमाण पत्र निलंबित करेगी और अभिलेखों को सौंपने के लिए जो अतिरिक्त समय माँगा गया है, वह नहीं दिया जाएगा।

अमित और ऋचा के वकीलों ने लिखा पत्र

अमित जोगी और ऋचा जोगी के अधिवक्ताओं ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को लिखा पत्र, कहा कि न्यायालय के फ़ैसले आ जाने तक निर्वाचन अधिकारी को राजनीतिक दबाव में आकर उनका जाति प्रमाण पत्र निरस्त नहीं करने के स्पष्ट निर्देश दें। अमित ने सुप्रीम कोर्ट के अपने अधिवक्ता पी.एन. पुरी के माध्यम से भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पत्र लिख कर बताया है कि उनके मुवक्किल ने 24 सितम्बर 2020 को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग अधिनियम 2013 में नियम विरुद्ध किए गए संशोधन को चुनौती देते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका लगाई है। उन्होंने ये भी बताया कि उपरोक्त संशोधन राज्य सरकार द्वारा केवल अमित जोगी के नामांकन पत्र को ग़ैर-क़ानूनी तरीक़े से रद्द करने की दुर्भावना से किए गए हैं। श्री पुरी ने यह भी जानकारी दी कि अमित जोगी के कँवर जनजाति होने की पुष्टि स्वयं माननीय उच्च न्यायालय उनके विरुद्ध दायर चुनाव याचिका में कर चुकी है और इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देने की अवधि भी समाप्त हो चुकी है। अतः माननीय उच्च न्यायालय के इस फैसले ने अंतिम रूप धारण कर लिया है। साथ ही, माननीय उच्च न्यायालय ने उच्च स्तरीय छानबीन समिति द्वारा उनके पिता स्वर्गीय अजीत जोगी जी के जाति प्रमाण पत्र को निरस्त करने के आदेश में स्टे(रोक)लगा दी है। श्री पुरी ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस मामले में फ़ैसले न आ जाने तक मरवाही उप-चुनाव के निर्वाचन अधिकारी को सरकार के राजनीतिक दबाव में न आकर श्री अमित जोगी का नामांकन पत्र को रद्द न करते हुए उसे स्वीकार करने के निर्देश देने का निवेदन किया है। डॉक्टर श्रीमती ऋचा जोगी ने भी अपने अधिवक्ता गैरी मुखोपाध्याय के माध्यम से भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पत्र लिख कर बताया है कि उनके मुवक्किल ने भी मुंगेली जिला सत्यापन समिति के समक्ष चल रहे प्रकरण की वैधानिकता के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में याचिका लगाई है। उन्होंने कहा कि अगर 24 सितम्बर 2020 को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग अधिनियम 2013 में नियम विरुद्ध किए गए संशोधन को स्वीकार भी कर लें, तब भी उपरोक्त समिति को श्रीमती ऋचा जोगी का जाति प्रमाण पत्र निलम्बित करने का मात्र अधिकार प्राप्त है, और जब तक उनका प्रमाण पत्र पूर्ण रूप से निरस्त नहीं किया जाता है, उसको स्वीकार करने के अलावा निर्वाचन अधिकारी के पास कोई दूसरा वैधानिक विकल्प नहीं है।

उपलब्धि | प्रदेश की पारेषण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने 121 ईएचटी उपकेन्द संचालित

खराब मौसम से जूझते कर्मियों ने स्थापित किया विशालकाय ट्रांसफार्मर

कोतमीकला उपकेन्द्र में 40 एम.व्ही.ए का पॉवर ट्रांसफार्मर क्रियाशील

नव प्रदेश संवाददाता

रायपुर। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनीज के अधिकारियों- कर्मचारियों की टीम द्वारा प्रदेश की पारेषण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए 121 अतिउच्चदाब उपकेन्द्रों का संचालन किया जा रहा है। करीब छह माह से कोविड 19 की महामारी से जूझते हुए भी विद्युत कर्मियों ने सुदूर ग्रामीण तक समुचित वोल्टेज पर बिजली पहुंचाने पारेषण प्रणाली के विस्तार कार्य की गति को बनाये रखा है। पारेषण क्षेत्र में प्रगति करते हुए आज 220/132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र कोतमीकला में 40 एम.व्ही.ए. क्षमता के पॉवर ट्रांसफार्मर को स्थापित कर क्रियाशील करने में बड़ी कामयाबी पारेषण कंपनी की टीम को मिली। उक्त जानकारी प्रबंध निदेशक अशोक कुमार ने दी।

आगे उन्होंने बताया कि ईसीई द्वारा निर्मित उक्त पॉवर ट्रांसफार्मर को खराब मौसम, तेज बारिश के मध्य प्रतिकूल परिस्थितियों में ट्रांसमिशन-डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की एक्सपर्ट टेक्नीकल टीम ने स्थापित किया। विदित हो कि कोतमीकला उपकेन्द्र में स्थापित लगभग 36 साल पुराना 20 एम.व्ही.ए क्षमता का पॉवर ट्रांसफार्मर के फेल हो जाने के कारण उसके स्थान पर 40 एम.व्ही.ए. क्षमता का नया ट्रांसफार्मर स्थापित कर क्रियाशील किया गया। नव क्रियाशील ट्रांसफार्मर के माध्यम से समुचित भार पर उपभोक्ताओं तक बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित होगी एवं लोड मैनेजमेंट की दृष्टि से भी यह अत्यंत कारगर होगा।

उक्त भारी भरकम पॉवर ट्रांसफार्मर की स्थापना-क्रियाशील कार्य में जुटे टीम को श्री कुमार ने बधाई दी। साथ ही प्रदेश की पारेषण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए युद्धस्तर पर किये जा रहे कार्यों को कोरोना काल में भी समयसीमा में पूर्ण करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि ''क्वालिटी पॉवर सप्लाई'' सुनिश्चित करने हेतु ट्रांसमिशन कंपनी द्वारा सुदूर वनाचंलों तक 12 हजार 804 सर्किट किलोमीटर अति उच्च दाब लाईन का विस्तार किया गया है। साथ ही साथ पारेषण प्रणालियों की सुरक्षा हेतु 1085 एम.वी.ए क्षमता के कैपेसिटर संचालित किए जा रहे हैं।

ई-कोर्ट से राजस्व प्रकरणों का शीघ्र निराकरण

■ राज्य के विभिन्न राजस्व न्यायालयों द्वारा 5.21 लाख से ज्यादा प्रकरण निराकृत

नव प्रदेश संवाददाता

रायपुर। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मार्गदर्शन एवं राजस्व मंत्री श्री जयसिंह अग्रवाल के प्रयासों से प्रदेश में आम लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में ई-कोर्ट के माध्यम से राजस्व विभाग के कार्यों का सरलीकरण कर राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण की सार्थक शुरूआत हुई है। अब प्रदेश के सभी जिलों में ई-कोर्ट के तहत राजस्व प्रकरणों का निराकरण किया जा रहा है जिससे लोगों को इसका लाभ मिलने लगा है। प्रदेश भर के विभिन्न राजस्व न्यायालयों में अब तक करीब पांच लाख 21 हजार 371 राजस्व प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है ।

इससे पहले राजस्व न्यायालय में दर्ज सभी प्रकरणों की जानकारी लेने के लिए जिला अथवा तहसील मुख्यालय आना पड़ता था। राजस्व ई-कोर्ट की शुरूआत होने से संबंधितों के लिए राजस्व न्यायालय में प्राप्त होने वाले सभी आवेदन ऑनलाइन दर्ज कर आवेदक को पावती मिल रही है। साथ ही पक्षकारों को उनके प्रकरणो में की जा रही कार्यवाही की अद्यतन जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध हो रही है। विचारधीन प्रकरण एवं खसरा की जानकारी भी ई कोर्ट में उपलब्ध है। पक्षकारों को सुनवाई के बाद आगामी पेशी तारीख की एसएमएस या मैसेज के माध्यम से सूचना भी दी जा रही है। प्रत्येक न्यायालय की वाद सूची ऑनलाइन उपलब्ध कराया जा रही है।

राजस्व प्रशासन ने राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए ई-कोर्ट व्यवस्था प्रारंभ की गई है। राजस्व न्यायालयों में संधारित किए जाने वाले दायरा पंजी, वाद पंजी एवं अर्थदण्ड पंजी को ई-कोर्ट व्यवस्था के अंतर्गत ऑनलाईन किया गया है। ई-कोर्ट में विचाराधीन प्रकरणों से संबंधित भूमि की जानकारी ऑनलाईन उपलब्ध करायी गई है। आम जनता को भू अभिलेखों की दुरूस्ती हेतु ऑनलाईन आवेदन करने एवं आवेदन पर की गई कार्यवाही की वर्तमान स्थिति ऑनलाईन देखने की सुविधा दी जा रही है। पटवारी द्वारा संधारित नामांतरण पंजी को भी ऑनलाईन नामांतरण पंजी में परिवर्तित किया गया है। भू अभिलेखों तक लोगों की आसान पहुंच सुनिश्चित करने हेतु एन्ड्राइड एप्प पर उपलब्ध कराया गया है। खसरा एवं बी-1 की डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त प्रतिलिपि ऑनलाईन निःशुल्क कही से भी कभी भी प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। राजस्व ई-कोर्ट के तहत राजस्व न्यायालय मे कलेक्टर से लेकर नायब तहसीलदार तक के सभी न्यायालय पंजीबद्ध हैं।